उत्तर प्रदेश शासन
परिवहन अनुभाग-4
संख्या-11 /2022/526/तीस-4-2022-17(सा0)/2018
लखनऊ दिनांक 02 मई, 2022

अधिसूचना

चूंकि साधारण खण्ड अधिनियम, 1897 (अधिनियम संख्या 10 सन् 1897) की धारा-21 के साथ पठित मोटर यान अधिनियम, 1988 (अधिनियम संख्या 59 सन् 1988) की धारा- 65, 95, 96, 111 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके, उत्तर प्रदेश मोटर यान नियमावली, 1998 को संशोधित करने की दृष्टि से, उक्त अधिनियम सन् 1988 की धारा 212 की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित प्रारूप, अधिसूचना संख्या-01/2022/03/तीस-4-2022-17 (सा)-2018, दिनांक 04 जनवरी, 2022 गजट में प्रकाशित किया गया था ;

और चूंकि प्रस्तावित नियमावली के संबंध में विहित अवधि के भीतर किसी से कोई आपत्ति एवं सुझाव प्राप्त नहीं हुआ;

अतएव, अब, साधारण खण्ड अधिनियम, 1897 (अधिनियम संख्या 10 सन् 1897) की धारा-21 के साथ पठित मोटर यान अधिनियम, 1988 (अधिनियम संख्या 59 सन् 1988) की धारा- 65, 95, 96, 111 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके, राज्यपाल उत्तर प्रदेश मोटर यान नियमावली, 1998 को संशोधित करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाती हैं :-

उत्तर प्रदेश मोटर यान (अट्ठाइसवाँ संशोधन) नियमावली, 2022

<table>
<tr><td>संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ</td><td colspan="2">1(1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश मोटर यान (अट्ठाइसवाँ संशोधन) नियमावली, 2022 कही जाएगी।
(2) यह गजट में प्रकाशित किये जाने के दिनांक से प्रवृत्त होगी।</td></tr>
<tr><td>नियम 222-घ का संशोधन</td><td colspan="2">2- उत्तर प्रदेश मोटरयान नियमावली, 1998 जिसे आगे उक्त नियमावली कहा गया है, में, नियम 222 में, नीचे स्तम्भ-1 में दिये गये उपनियम (2) और (3) के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिये गये उपनियम रख दिये जायेंगे, अर्थात्:-</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2"><table>
<tr><th>स्तम्भ-1
विद्यमान उपनियम</th><th>स्तम्भ-2
एतदद्वारा प्रतिस्थापित उपनियम</th></tr>
<tr><td>(2) डीजल/सी.एन.जी. चालित निजी बस (ठेका गाड़ी) प्रारम्भिक रजिस्ट्रीकरण के दिनांक से 10 वर्ष से अधिक पुरानी नहीं होगी।</td><td>(2) डीजल/सी.एन.जी. चालित निजी बस (ठेका गाड़ी) प्रारम्भिक रजिस्ट्रीकरण के दिनांक से 15 वर्ष से अधिक पुरानी नहीं होगी।</td></tr>
<tr><td>(3) डीजल/पेट्रोल/सी0एन0जी0 अथवा किसी अन्य स्वच्छ इंर्धन चालित विद्यालय वैन, प्रारम्भिक रजिस्ट्रीकरण के दिनांक से 10 वर्ष से अधिक पुरानी नहीं होगी।</td><td>(3) डीजल/पेट्रोल/सी0एन0जी0 चालित विद्यालय वैन, प्रारम्भिक रजिस्ट्रीकरण के दिनांक से 15 वर्ष से अधिक पुरानी नहीं होगी।</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>नियम 222-ठ (1) का संशोधन</td><td colspan="2">3- उक्त नियमावली में, नियम 222-ठ में,
उपनियम (1) में,</td></tr>
</table>

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

(एक) नीचे स्तम्भ-1 में दिये गये खण्ड (ख) के स्थान पर, स्तम्भ-2 में दिया गया खण्ड रख दिया जायेगा, अर्थात्:-

स्तम्भ-1 विद्यमान खण्ड	स्तम्भ-2 एतदद्वारा प्रतिस्थापित खण्ड
(ख) में आवश्यक रूप से एक आपातकालीन द्वार और एक आपातकालीन खिड़की अवश्य होगी। आपातकालीन द्वार का आकार 150 से.मी.X120 से.मी. होगा, जिसे अन्दर की ओर से और बाहर की ओर से भी खोला जा सकता है। आपातकालीन निकास खिड़की यान के पश्च भाग की ओर होगी, जो 150 से.मी.X120 से.मी. के आकार के टफन ग्लास की बनी होगी जिसे एक स्थायी फ्रेम में फिक्स किया गया होगा। आपातकालीन निकास खिड़की के शीशे को तोड़ने के लिए पर्याप्त व्यवस्था करनी आवश्यक होगी।	(ख) मिनी और मिडी बसों से भिन्न बसों में सेवा द्वार के विपरीत दिशा में एक आपातकालीन निकास होगा। इसके अतिरिक्त, बस के पीछे की ओर एक आपातकालीन निकास होगा। तथापि मिनी और मिडी बसों की दशा में न्यूनतम एक आपातकालीन निकास होगा और यह सेवा द्वार के विपरीत या बस के पीछे की तरफ स्थित होगा। आपातकालीन द्वार का निचला किनारा, बस के तल के स्तर पर होगा और ऊपरी किनारा खिड़की के ऊपरी किनारे के स्तर पर होगा। आपातकालीन निकास की चौड़ाई 550 मिमी होगी।

(दो) नीचे स्तम्भ-1 में दिये गये खण्ड(ञ) के स्थान पर, स्तम्भ-2 में दिया गया खण्ड रख दिया जायेगा, अर्थात्:-

स्तम्भ-1 विद्यमान खण्ड	स्तम्भ-2 एतदद्वारा प्रतिस्थापित खण्ड
(ञ) की समस्त सीटों में सीट बैल्ट लगाई जायेंगी।	(ञ) में सीट बैल्ट लगायी जायेंगी।

(तीन) खण्ड (ड) के पश्चात्, निम्नलिखित खण्ड बढ़ा दिया जायेगा, अर्थात्:-

(ड-एक) रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र में उल्लिखित बैठने की क्षमता से अधिक संख्या में छात्रों को नहीं ले जाया जायेगा।

परन्तु यह कि स्कूल बसों की दशा में बारह वर्ष की आयु से कम आयु के बच्चों को ले जाने के लिए, बैठने की क्षमता के 1.5 गुना की अनुमति होगी।

(चार) नीचे स्तम्भ-1 में दिये गये खण्ड (ढ), (ण) एवं (त) के स्थान पर, स्तम्भ-2 में दिये गये खण्ड रख दिये जायेंगे, अर्थात्:-

स्तम्भ-1 विद्यमान खण्ड	स्तम्भ-2 एतदद्वारा प्रतिस्थापित खण्ड
(ढ) यान लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस से युक्त होगी। यह उपबन्ध इस नियमावली के लागू होने के 03 माह के पश्चात् प्रवृत्त हो जायेगा।	(ढ) यान लोकेशन ट्रैकिंग यंत्र से अवश्य युक्त होगी। यह उपबन्ध, राज्य सरकार द्वारा पृथक से अधिसूचित दिनांक से प्रवृत्त होगा।
(ण) में सी०सी० टीवी कैमरे का उपबन्ध अनिवार्य होगा। यह इस नियमावली के लागू होने के 03 माह पश्चात् प्रवृत्त हो जायेगा।	(ण) में सी०सी० टीवी कैमरे का उपबन्ध अनिवार्य होगा। यह उपबन्ध, राज्य सरकार द्वारा पृथक से अधिसूचित दिनांक से प्रवृत्त होगा।
(त) ड्राइवर के अतिरिक्त एक परिचर होगा और बालिका विद्यार्थी होने की दशा में परिचर अनन्य रूप से महिला होनी चाहिए। उन्हें यह सुनिश्चित करना होगा कि ऐसी बस में एक अध्यापक अवश्य यात्रा करे।	(त) ड्राइवर के अतिरिक्त एक परिचर होगा और बालिका विद्यार्थी होने की दशा में, परिचर अनन्य रूप से महिला होनी चाहिए। ऐसी बस में यथासम्भव एक अध्यापक भी यात्रा कर सकता है।

(2) उपनियम (2) में,-

(एक) नीचे स्तम्भ-1 में दिये गये खण्ड (ग) के स्थान पर, स्तम्भ-2 में दिया गया खण्ड रख दिया जायेगा, अर्थात्:-

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

	स्तम्भ-1 **विद्यमान खण्ड**	**स्तम्भ-2** **एतदद्वारा प्रतिस्थापित खण्ड**
	(ग) में एक आपातकालीन द्वार एवं एक आपातकालीन खिड़की अवश्य होगी। आपातकालीन द्वार का आकार 150 से.मी.X120 से.मी. होगा, जिसे भीतर एवं बाहर दोनों ओर से खोला जा सके। आपातकालीन निकास खिड़की यान के पीछे की ओर होगी, जो 150 से.मी.X120 से.मी. में आकार के टफन ग्लास की बनी होगी जो एक स्थायी फ्रेम में फिक्स होगी। आपातकालीन निकास खिड़की के शीशे को तोड़ने के लिए पर्याप्त व्यवस्था अवश्य की जाएगी।	(ग) मिनी और मिडी बसों से भिन्न बसों में सेवा द्वार के विपरीत एक आपातकालीन निकास होगा। इसके अतिरिक्त, बस के पीछे की ओर एक आपातकालीन निकास होगा। तथापि मिनी और मिडी बसों की दशा में न्यूनतम एक आपातकालीन निकास होगा और यह सेवा द्वार के विपरीत या बस के पीछे की तरफ स्थित होगा। आपातकालीन द्वार का निचला किनारा बस के तल के स्तर पर होगा और ऊपरी किनारा खिड़की के ऊपरी किनारे के स्तर पर होगा। आपातकालीन निकास की चौड़ाई 550 मिमी होगी।
	(दो) नीचे स्तम्भ-1 में दिये गये खण्ड (छ) के स्थान पर, स्तम्भ-2 में दिया गया खण्ड रख दिया जायेगा, अर्थात्:-	
	स्तम्भ-1 **विद्यमान खण्ड**	**स्तम्भ-2** **एतदद्वारा प्रतिस्थापित खण्ड**
	(छ) की समस्त सीटों में सीट बैल्ट सुसज्जित होंगी।	(छ) में सीट बैल्ट सुसज्जित होंगी।
	(तीन) खण्ड (ढ) के पश्चात्, निम्नलिखित खण्ड बढ़ा दिया जायेगा, अर्थात्:-	
	(ढ-एक) रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र में उल्लिखित बैठने की क्षमता से अधिक संख्या में छात्रों को नहीं ले जाया जायेगा। परन्तु यह कि स्कूल बसों की दशा में, बारह वर्ष की आयु से कम आयु के बच्चों को ले जाने के लिए, बैठने की क्षमता के 1.5 गुना की अनुमति होगी।	
	(चार) नीचे स्तम्भ-1 में दिये गये खण्ड (ण), (त) एवं (थ) के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया खण्ड रख दिये जायेंगे, अर्थात्:-	
	स्तम्भ-1 **विद्यमान खण्ड**	**स्तम्भ-2** **एतदद्वारा प्रतिस्थापित खण्ड**
	(ण) यान लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस से युक्त होगी। यह उपबन्ध इस नियमावली के लागू होने के 03 माह पश्चात् प्रवृत्त हो जायेगा।	(ण) यान लोकेशन ट्रैकिंग यंत्र से अवश्य युक्त होगी। यह उपबन्ध राज्य सरकार द्वारा पृथक से अधिसूचित दिनांक से प्रवृत्त होगा।
	(त) में सी°सी° टीवी कैमरे का उपबन्ध अनिवार्य होगा। यह इस नियमावली के लागू होने के 03 माह के पश्चात प्रवृत्त हो जायेगा।	(त) में सी०सी० टीवी कैमरे का उपबन्ध अनिवार्य होगा। यह उपबन्ध, राज्य सरकार द्वारा पृथक से अधिसूचित दिनांक से प्रवृत्त होगा।
	(थ) ड्राइवर के अतिरिक्त एक परिचर होगा और बालिका विद्यार्थी होने की दशा में परिचर अनन्य रूप से महिला होनी चाहिए। उन्हें यह सुनिश्चित करना होगा कि ऐसी बस में एक अध्यापक अवश्य यात्रा करे।	(थ) ड्राइवर के अतिरिक्त एक परिचर होगा और बालिका विद्यार्थी होने की दशा में परिचर महिला होनी चाहिए। ऐसी बस में यथासम्भव एक अध्यापक भी यात्रा कर सकता है।
	(3) उपनियम (3) में,-	
	(एक) नीचे स्तम्भ-1 में दिये गये खण्ड (घ) के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया खण्ड रख दिया जायेगा, अर्थात्:-	
	स्तम्भ-1 **विद्यमान खण्ड**	**स्तम्भ-2** **एतदद्वारा प्रतिस्थापित खण्ड**
	(घ) एक फर्स्ट-एड बाक्स तथा एक 5 किग्रा0 के बी0आई0एस0 मार्क के एक अग्नि शामक यन्त्र से सुसज्जित होगी।	(घ) एक फर्स्ट-एड बाक्स तथा एक 02 किग्रा0 के बी0आई0एस0 मार्क के एक अग्नि शामक यन्त्र से सुसज्जित होगी।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

	(दो) नीचे स्तम्भ-1 में दिये गये खण्ड (च) के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया खण्ड रख दिया जायेगा, अर्थात्:-

स्तम्भ-1	स्तम्भ-2
विद्यमान खण्ड	**एतदद्वारा प्रतिस्थापित खण्ड**
(च) की समस्त सीटें सीट बैल्ट से सुसज्जित होगी।	(च) में सीट बैल्ट सुसज्जित होंगी।

	(तीन) खण्ड (ज) के पश्चात्, निम्नलिखित खण्ड बढ़ा दिया जायेगा, अर्थात्:-
	(ज-एक) रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र में उल्लिखित बैठने की क्षमता से अधिक संख्या में छात्रों को नहीं ले जाया जायेगा। परन्तु यह कि स्कूल वैनों की दशा में, बारह वर्ष की आयु से कम आयु के बच्चों को ले जाने के लिए, बैठने की क्षमता के 1.5 गुना की अनुमति होगी।
	(चार) नीचे स्तम्भ-1 में दिये गये खण्ड (झ), (ञ) एवं (ट) के स्थान पर, स्तम्भ-2 में दिया गया खण्ड रख दिये जायेंगे, अर्थात्:-

स्तम्भ-1	स्तम्भ-2
विद्यमान खण्ड	**एतदद्वारा प्रतिस्थापित खण्ड**
(झ) में यान लोकेशन ट्रैकिंग यन्त्र अवश्य लगा होना चाहिए। यह उपबन्ध इस नियमावली के लागू होने के 03 माह पश्चात् प्रवृत्त होगा।	(झ) में यान लोकेशन ट्रैकिंग यन्त्र अवश्य लगा होना चाहिए। यह उपबन्ध, राज्य सरकार द्वारा पृथक से अधिसूचित दिनांक से प्रवृत्त होगा।
(ञ) ऐसे विद्यालय वैनो में सी°सी° टीवी कैमरे का उपबन्ध किया जाना अनिवार्य होगा। यह इस नियमावली के लागू होने के 03 माह पश्चात् प्रवृत्त हो जायेगा।	(ञ) ऐसे विद्यालय वैनो में सी°सी° टीवी कैमरे का उपबन्ध किया जाना अनिवार्य होगा। यह उपबन्ध, राज्य सरकार द्वारा पृथक से अधिसूचित दिनांक से प्रवृत्त होगा।
(ट) ड्राइवर के अतिरिक्त एक परिचर होगा और यदि बालिका विद्यार्थी हो तो परिचर महिला होनी चाहिए। उन्हें यह सुनिश्चित करना होगा कि ऐसे वैन में एक अध्यापक अवश्य यात्रा करे।	(ट) ड्राइवर के अतिरिक्त एक परिचर होगा और यदि बालिका विद्यार्थी हो तो परिचर महिला होनी चाहिए।

नियम 222-ड का संशोधन	4- उक्त नियमावली में, नियम 222-ड में, खण्ड (ख) के पश्चात्, निम्नलिखित खण्ड बढ़ा दिये जायेंगे, अर्थात्:-
	(ख-एक) "मिडी बस" का तात्पर्य ऐसी किसी ओमनी बस से है जिसकी जिसकी सीटिंग क्षमता 23 से 37 तक हो। (ख-दो) "मिनी बस" का तात्पर्य ऐसी किसी ओमनी बस से है, जिसकी सीटिंग क्षमता 13 से 22 तक हो।

प्रपत्र एस°आर°-21क एवं एस°आर°-21ख का संशोधन	5- द्वितीय अनुसूची में, नीचे स्तम्भ-1 में दिये गये प्रपत्र एस°आर°-21क एवं एस°आर°-21ख के स्थान पर, स्तम्भ-2 में दिये गये प्रपत्र रख दिये जायेंगे, अर्थात्:-

स्तम्भ-1	स्तम्भ-2
विद्यमान प्रपत्र	**एतदद्वारा प्रतिस्थापित प्रपत्र**
प्रपत्र एस°आर°-21क **[नियम-222 घ(2) देखिये]** किसी ठेका गाड़ी के सम्बन्ध में परमिट के लिए आवेदन-पत्र (यदि यान स्वामी और विद्यालय के मध्य करार हस्ताक्षरित हो।) सेवा में, राज्य/सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण, ...	**प्रपत्र एस°आर°-21क** **[नियम-222 ख(2) देखिये]** किसी ठेका गाड़ी के सम्बन्ध में परमिट के लिए आवेदन-पत्र (यदि यान स्वामी और विद्यालय के मध्य करार हस्ताक्षरित हो।) सेवा में, राज्य/सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण, ...

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

	मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 69, 73, और 80 के उपबन्धों के अनुसार मैं/हम, अधोहस्ताक्षरी, एतद्वारा उक्त अधिनियम की धारा 66 के अधीन ठेका गाड़ी के सम्बन्ध में परमिट के लिये निम्नानुसार, आवेदन करता हूँ/करते हैं-	मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 69, 73, और 80 के उपबन्धों के अनुसार मैं/हम, अधोहस्ताक्षरी, एतद्वारा उक्त अधिनियम की धारा 66 के अधीन ठेका गाड़ी के सम्बन्ध में परमिट के लिये निम्नानुसार, आवेदन करता हूँ/करते हैं-
	1. पूरा नाम.....	1. पूरा नाम.....
	2. किसी व्यक्ति की दशा में पिता/पति का नाम और किसी फर्म या कम्पनी की दशा में यथा स्थिति, प्रबन्ध भागीदार या प्रबन्ध निदेशक का नाम.....	2. किसी व्यक्ति की दशा में पिता/पति का नाम और किसी फर्म या कम्पनी की दशा में यथा स्थिति, प्रबन्ध भागीदार या प्रबन्ध निदेशक का नाम.....
	3. आवेदक की प्रास्थिति चाहे वह व्यक्ति, कम्पनी या भागीदार फर्म सहकारी समिति आदि हो.....	3. आवेदक की प्रास्थिति चाहे वह व्यक्ति, कम्पनी या भागीदार फर्म सहकारी समिति आदि हो.....
	4. पूरा पता- (क) स्थायी..... (ख) वर्तमान..... (जो किसी व्यक्ति की दशा में राशनकार्ड, विद्युत बिल अथवा ऐसे किसी अन्य विधिमान्य दस्तावेजी साक्ष्य की अनुप्रमाणित प्रतिलिपि सहायक होगी, जो परिवहन प्राधिकरण का समाधान करते हों और कम्पनी या फर्म की दशा में संगम ज्ञापन की प्रमाणित प्रतिलिपि या भागीदारी विलेख की प्रतिलिपि से सहायक होगी)	4. पूरा पता- (क) स्थायी..... (ख) वर्तमान..... (जो किसी व्यक्ति की दशा में राशनकार्ड, विद्युत बिल अथवा ऐसे किसी अन्य विधिमान्य दस्तावेजी साक्ष्य की अनुप्रमाणित प्रतिलिपि सहायक होगी, जो परिवहन प्राधिकरण का समाधान करते हों और कम्पनी या फर्म की दशा में संगम ज्ञापन की प्रमाणित प्रतिलिपि या भागीदारी विलेख की प्रतिलिपि से सहायक होगी)
	5. क्षेत्र या मार्ग, जिसके लिए परमिट वांछित है..	5. क्षेत्र या मार्ग, जिसके लिए परमिट वांछित है..
	6. यान का प्रकार, इसका मॉडल और रजिस्ट्रीकरण चिन्ह.....	6. यान का प्रकार, इसका मॉडल और रजिस्ट्रीकरण चिन्ह.....
	7. रजिस्ट्रीकृत सीटों की क्षमता.....	7. रजिस्ट्रीकृत सीटों की क्षमता.....
	8. ठेका गाड़ी द्वारा की जाने वाली सेवा का विवरण एवं रीति, जिसमें यह दावा किया गया हो कि जन सुविधा उपलब्ध करायी जायेगी.....	8. ठेका गाड़ी द्वारा की जाने वाली सेवा का विवरण एवं रीति, जिसमें यह दावा किया गया हो कि जन सुविधा उपलब्ध करायी जायेगी.....
	9. क्या विद्यालय के साथ ठेका हुआ है- हॉ/नहीं	9. क्या विद्यालय के साथ ठेका हुआ है- हॉ/नहीं
	10. आवेदक द्वारा धारित किसी विधिमान्य मंजिली गाड़ी या ठेका गाड़ी परमिट (या समरूप प्राधिकार) का विवरण..... (क) इस यान के सम्बन्ध में- परमिट संख्या | द्वारा जारी किया गया | क्षेत्र | विधिमान्यता की अवधि	10. आवेदक द्वारा धारित किसी विधिमान्य मंजिली गाड़ी या ठेका गाड़ी परमिट (या समरूप प्राधिकार) का विवरण..... (क) इस यान के सम्बन्ध में- परमिट संख्या | द्वारा जारी किया गया | क्षेत्र | विधिमान्यता की अवधि
	(ख) किसी अन्य यान के सम्बन्ध में-	(ख) किसी अन्य यान के सम्बन्ध में-
	11. आवेदक द्वारा धारित किसी परिवहन यान के उपयोग के सम्बन्ध में किसी राज्य में पिछले चार वर्षों के दौरान किसी परमिट का विवरण, जो किसी आदेश के अधीन निलम्बित या रद्द किये गये हों, यदि ऐसा हों, ब्यौरा दें.....	11. आवेदक द्वारा धारित किसी परिवहन यान के उपयोग के सम्बन्ध में किसी राज्य में पिछले चार वर्षों के दौरान किसी परमिट का विवरण, जो किसी आदेश के अधीन निलम्बित या रद्द किये गये हों, यदि ऐसा हों, ब्यौरा दें.....
	12. क्या उपरोक्त कथित परमिटों से आच्छादित यानों के सम्बन्ध में समस्त कर को अद्यतन रूप में संदत्त कर दिया गया है? यदि ऐसा कर दिया गया है, तो सम्बन्धित कराधान अधिकारी का अदेयता प्रमाण-पत्र संलग्न करें, यदि नहीं किया गया हैं, तो बकाया का ब्यौरा दें (सम्बन्धित कराधान अधिकारी का प्रमाण-पत्र सहायक होगा।).....	12. क्या उपरोक्त कथित परमिटों से आच्छादित यानों के सम्बन्ध में समस्त कर को अद्यतन रूप में संदत्त कर दिया गया है? यदि ऐसा कर दिया गया है, तो सम्बन्धित कराधान अधिकारी का अदेयता प्रमाण-पत्र संलग्न करें, यदि नहीं किया गया हैं, तो बकाया का ब्यौरा दें (सम्बन्धित कराधान अधिकारी का प्रमाण-पत्र सहायक होगा।).....
	13. भाड़ेदारों के आराम और सुविधा के लिये और सामान रखने और उसकी सुरक्षित अभिरक्षा के लिये किये गये इन्तजामों का ब्यौरा.....	13. भाड़ेदारों के आराम और सुविधा के लिये और सामान रखने और उसकी सुरक्षित अभिरक्षा के लिये किये गये इन्तजामों का ब्यौरा.....

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

	14. यान मेरे/हमारे कब्जे में है और यान के सम्बन्ध में रजिस्ट्रीकरण और बीमा प्रमाण-पत्र इसके साथ संलग्न है..... 15. मैंने/हमने .....रूपये की विहित आवेदन-पत्र फीस न्यायिकेतर स्टाम्प के रूप में संदत्त कर दिया है 16. मैंने/हमने अभी तक यान का कब्जा प्राप्त नहीं किया है और मैं/हम समझता हूँ/समझते हैं कि परमिट तब तक जारी नही किया जायेगा जब तक कि रजिस्ट्रीकरण का प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं कर देता हूँ/कर देते हैं। 17. मैं/हम एतद्वारा, घोषित करता हूँ/करते हैं कि उक्त कथन सत्य हैं और सहमत हूँ/हैं कि वे अन्य बातों के साथ-साथ मुझे/हमें जारी की गयी परमिट की शर्तें होंगी। दिनांक ..... आवेदक/आवेदकों के हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान * जो भी लागू न हो उसे काट दें। कार्यालय परिवहन प्राधिरण द्वारा भरा जायेगा। 1. प्राप्ति का दिनांक..... 2. आवेदन का दिनांक..... 3. दिनांक..... सदस्यों को परिचालन..... बैठक में विचार का दिनांक..... अध्यक्ष द्वारा विनिश्चय..... 4. स्वीकृत..... उपान्तरिक रूप में स्वीकृति..... अस्वीकृत..... 5. परमिट की संख्या..... सचिव संभागीय परिवहन प्राधिकरण.....	14. यान मेरे/हमारे कब्जे में है और यान के सम्बन्ध में रजिस्ट्रीकरण और बीमा प्रमाण-पत्र इसके साथ संलग्न है..... 15. मैंने/हमने .....रूपये की विहित आवेदन-पत्र फीस न्यायिकेतर स्टाम्प के रूप में संदत्त कर दिया है 16. मैंने/हमने अभी तक यान का कब्जा प्राप्त नहीं किया है और मैं/हम समझता हूँ/समझते हैं कि परमिट तब तक जारी नही किया जायेगा जब तक कि रजिस्ट्रीकरण का प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं कर देता हूँ/कर देते हैं। 17. मैं/हम एतद्वारा, घोषित करता हूँ/करते हैं कि उक्त कथन सत्य हैं और सहमत हूँ/हैं कि वे अन्य बातों के साथ-साथ मुझे/हमें जारी की गयी परमिट की शर्तें होंगी। दिनांक ..... आवेदक/आवेदकों के हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान * जो भी लागू न हो उसे काट दें। कार्यालय परिवहन प्राधिरण द्वारा भरा जायेगा। 1. प्राप्ति का दिनांक..... 2. आवेदन का दिनांक..... 3. दिनांक..... सदस्यों को परिचालन..... बैठक में विचार का दिनांक..... अध्यक्ष द्वारा विनिश्चय..... 4. स्वीकृत..... उपान्तरिक रूप में स्वीकृति..... अस्वीकृत..... 5. परमिट की संख्या..... सचिव संभागीय परिवहन प्राधिकरण.....
	प्रपत्र एस॰आर॰-21ख **[नियम-222 घ(3)देखिये]** किसी ठेका गाड़ी के सम्बन्ध में परमिट के लिए आवेदन-पत्र (यदि यान स्वामी एवं विद्यालय अथवा संरक्षक के मध्य करार हस्ताक्षरित हो।) सेवा में, राज्य/सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण, ... मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 69, 73, और 80 के उपबन्धों के अनुसार मैं/हम, अधोहस्ताक्षरी, एतद्वारा उक्त अधिनियम की धारा 66 के अधीन ठेका गाड़ी के सम्बन्ध में परमिट के लिये निम्नानुसार, आवेदन करता हूँ/करते हैं- 1. पूरा नाम..... 2. किसी व्यक्ति की दशा में पिता/पति का नाम और किसी फर्म या कम्पनी की दशा में यथा स्थिति, प्रबन्ध भागीदार या प्रबन्ध निदेशक का नाम..... 3. आवेदक की प्रास्थिति चाहे वह व्यक्ति, कम्पनी या भागीदार फर्म सहकारी समिति आदि हो..... 4. पूरा पता- (क) स्थायी.....	**प्रपत्र एस॰आर॰-21ख** **[नियम-222 ख(3)देखिये]** किसी ठेका गाड़ी के सम्बन्ध में परमिट के लिए आवेदन-पत्र (यदि यान स्वामी एवं विद्यालय अथवा संरक्षक के मध्य करार हस्ताक्षरित हो।) सेवा में, राज्य/सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण, ... मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 69, 73, और 80 के उपबन्धों के अनुसार मैं/हम, अधोहस्ताक्षरी, एतद्वारा उक्त अधिनियम की धारा 66 के अधीन ठेका गाड़ी के सम्बन्ध में परमिट के लिये निम्नानुसार, आवेदन करता हूँ/करते हैं- 1. पूरा नाम..... 2. किसी व्यक्ति की दशा में पिता/पति का नाम और किसी फर्म या कम्पनी की दशा में यथा स्थिति, प्रबन्ध भागीदार या प्रबन्ध निदेशक का नाम..... 3. आवेदक की प्रास्थिति चाहे वह व्यक्ति, कम्पनी या भागीदार फर्म सहकारी समिति आदि हो..... 4. पूरा पता- (क) स्थायी.....

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

	(ख) वर्तमान..... (जो किसी व्यक्ति की दशा में राशनकार्ड, बिजली बिल आदि की प्रमाणित प्रतिलिपि से या किसी अन्य विधिमान्य दस्तावेजी प्रमाण-पत्र की अनुप्रमाणित प्रतिलिपि पत्र जो परिवहन प्राधिकरण का समाधान करते हों और कम्पनी या फर्म की दशा में संगम ज्ञापन की प्रमाणित प्रतिलिपि से या भागीदारी विलेख की प्रतिलिपि से समर्थित होगा)	(ख) वर्तमान..... (जो किसी व्यक्ति की दशा में राशनकार्ड, बिजली बिल आदि की प्रमाणित प्रतिलिपि से या किसी अन्य विधिमान्य दस्तावेजी प्रमाण-पत्र की अनुप्रमाणित प्रतिलिपि पत्र जो परिवहन प्राधिकरण का समाधान करते हों और कम्पनी या फर्म की दशा में संगम ज्ञापन की प्रमाणित प्रतिलिपि से या भागीदारी विलेख की प्रतिलिपि से समर्थित होगा)
	5. क्षेत्र या मार्ग, जिसके लिए परमिट वांछित है....	5. क्षेत्र या मार्ग, जिसके लिए परमिट वांछित है.....
	6. यान का प्रकार, इसका मॉडल और रजिस्ट्रीकरण चिन्ह.....	6. यान का प्रकार, इसका मॉडल और रजिस्ट्रीकरण चिन्ह.....
	7. रजिस्ट्रीकृत सीटों की क्षमता.....	7. रजिस्ट्रीकृत सीटों की क्षमता.....
	8. ठेका गाड़ी द्वारा की जाने वाली सेवा का विवरण एवं रीति, जिसमें यह दावा किया गया हो कि जन सुविधा उपलब्ध करायी जायेगी.....	8. ठेका गाड़ी द्वारा की जाने वाली सेवा का विवरण एवं रीति, जिसमें यह दावा किया गया हो कि जन सुविधा उपलब्ध करायी जायेगी.....
	9. क्या विद्यालय अथवा संरक्षक के साथ करार हस्ताक्षरित हुआ है.....	9. क्या विद्यालय अथवा संरक्षक के साथ करार हस्ताक्षरित हुआ है.....
	10. आवेदक द्वारा धारित किसी विधिमान्य मंजिली यान या ठेका यान परमिट (या समरूप प्राधिकार) का विवरण.....	10. आवेदक द्वारा धारित किसी विधिमान्य मंजिली यान या ठेका यान परमिट (या समरूप प्राधिकार) का विवरण.....
	(क) इस यान के सम्बन्ध में- परमिट संख्या / द्वारा जारी किया गया / क्षेत्र / विधिमान्यता की अवधि	(क) इस यान के सम्बन्ध में- परमिट संख्या / द्वारा जारी किया गया / क्षेत्र / विधिमान्यता की अवधि
	(ख) किसी अन्य यान के सम्बन्ध में-	(ख) किसी अन्य यान के सम्बन्ध में-
	11. आवेदक द्वारा धारित किसी परिवहन यान के उपयोग के सम्बन्ध में किसी राज्य में पिछले चार वर्षों के दौरान किसी परमिट का विवरण, जो किसी आदेश के अधीन निलम्बित या रद्द किये गये हों, यदि ऐसा हों, ब्यौरा दें.....	11. आवेदक द्वारा धारित किसी परिवहन यान के उपयोग के सम्बन्ध में किसी राज्य में पिछले चार वर्षों के दौरान किसी परमिट का विवरण, जो किसी आदेश के अधीन निलम्बित या रद्द किये गये हों, यदि ऐसा हों, ब्यौरा दें....
	12. क्या उपरोक्त कथित परमिटों से आच्छादित यानों के सम्बन्ध में समस्त कर को अद्यतन रूप में संदत्त कर दिया गया है? यदि कर दिया गया है, तो सम्बन्धित कराधान अधिकारी का अदेयता प्रमाण-पत्र संलग्न करें, यदि नहीं किया गया हैं, तो बकाया का ब्यौरा दें (सम्बन्धित कराधान अधिकारी का प्रमाण-पत्र समर्थित होगा।).....	12. क्या उपरोक्त कथित परमिटों से आच्छादित यानों के सम्बन्ध में समस्त कर को अद्यतन रूप में संदत्त कर दिया गया है? यदि कर दिया गया है, तो सम्बन्धित कराधान अधिकारी का अदेयता प्रमाण-पत्र संलग्न करें, यदि नहीं किया गया हैं, तो बकाया का ब्यौरा दें (सम्बन्धित कराधान अधिकारी का प्रमाण-पत्र समर्थित होगा।).....
	13. भाड़ेदारों के आराम और सुविधा के लिये और सामान रखने और उसकी सुरक्षित अभिरक्षा के लिये किये गये इन्तजामों का विवरण.....	13. भाड़ेदारों के आराम और सुविधा के लिये और सामान रखने और उसकी सुरक्षित अभिरक्षा के लिये किये गये इन्तजामों का विवरण.....
	14. यान मेरे/हमारे कब्जे में है और यान के सम्बन्ध में रजिस्ट्रीकरण और बीमा प्रमाण-पत्र इसके साथ संलग्न है.....	14. यान मेरे/हमारे कब्जे में है और यान के सम्बन्ध में रजिस्ट्रीकरण और बीमा प्रमाण-पत्र इसके साथ संलग्न है.....
	15. मैंने/हमने .....रूपये की विहित आवेदन-पत्र फीस न्यायिकेतर स्टाम्प के रूप में संदत्त कर दिया है.....	15. मैंने/हमने .....रूपये की विहित आवेदन-पत्र फीस न्यायिकेतर स्टाम्प के रूप में संदत्त कर दिया है.....
	16. मैंने/हमने अभी तक यान का कब्जा प्राप्त नहीं किया है और मैं/हम समझता हूँ/समझते हैं कि परमिट तब तक जारी नही किया जायेगा जब तक कि रजिस्ट्रीकरण का प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं कर देता हूँ/कर देते हैं।	16. मैंने/हमने अभी तक यान का कब्जा प्राप्त नहीं किया है और मैं/हम समझता हूँ/समझते हैं कि परमिट तब तक जारी नही किया जायेगा जब तक कि रजिस्ट्रीकरण का प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं कर देता हूँ/कर देते हैं।
	17. मैं/हम एतद्वारा, घोषित करता हूँ/करते हैं कि उक्त कथन सत्य हैं और सहमत हूँ/हैं कि वे अन्य बातों के साथ-साथ मुझे/हमें जारी की गयी परमिट की शर्तें	17. मैं/हम एतद्वारा, घोषित करता हूँ/करते हैं कि उक्त कथन सत्य हैं और सहमत हूँ/हैं कि वे अन्य बातों के साथ-साथ मुझे/हमें जारी की गयी परमिट की शर्तें

http://shasanadesh.up.gov.in

	होंगी। दिनांक ..... आवेदक/आवेदकों के हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान * जो भी लागू न हो उसे काट दें। कार्यालय परिवहन प्राधिरण द्वारा भरा जायेगा। 1. प्राप्ति का दिनांक..... 2. आवेदन का दिनांक..... 3. दिनांक..... सदस्यों को परिचालन..... बैठक में विचार का दिनांक..... अध्यक्ष द्वारा विनिश्चय..... 4. स्वीकृत..... उपान्तरिक रूप में स्वीकृति..... अस्वीकृत..... 5. परमिट की संख्या..... सचिव संभागीय परिवहन प्राधिकरण.....	होंगी। दिनांक ..... आवेदक/आवेदकों के हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान * जो भी लागू न हो उसे काट दें। कार्यालय परिवहन प्राधिरण द्वारा भरा जायेगा। 1. प्राप्ति का दिनांक..... 2. आवेदन का दिनांक..... 3. दिनांक..... सदस्यों को परिचालन..... बैठक में विचार का दिनांक..... अध्यक्ष द्वारा विनिश्चय..... 4. स्वीकृत..... उपान्तरिक रूप में स्वीकृति..... अस्वीकृत..... 5. परमिट की संख्या..... सचिव संभागीय परिवहन प्राधिकरण.....
प्रपत्र एस°आर°-23क का संशोधन	6- द्वितीय अनुसूची में, नीचे स्तम्भ-1 में दिये गये प्रपत्र एस0आर023क के स्थान पर, स्तम्भ-2 में दिया गया प्रपत्र रख दिया जायेगा, अर्थात् :-	
	स्तम्भ-1	**स्तम्भ-2**
	विद्यमान प्रपत्र **प्रपत्र एस°आर°-23क** **[नियम-222 घ(1)देखिये]** **शिक्षा संस्था बस परमिट स्वीकृति हेतु आवेदन** सेवा में, सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण, ... मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 69, 70 और 71 के उपबंधों के अनुसार, मैं/हम अधोहस्ताक्षरी, एतद्वारा अधिनियम की धारा-66 के अधीन विद्यालय बस/विद्यालय यान परमिट के लिए आवेदन करता हूं। 1. पूरा नाम..... 2. पिता/पति का नाम..... 3 आयु..... 4. पूरा पता..... (क) स्थायी- (ख) वर्तमान-(किसी व्यक्ति की दशा में राशन कार्ड, विद्युत बिल अथवा किसी अन्य विधिमान्य दस्तावेजी प्रमाण की अनुप्रमाणित प्रतिलिपि, जो परिवहन प्राधिकरण का समाधान करते हो और कम्पनी या फर्म की दशा में संगम ज्ञापन की प्रमाणित प्रतिलिपि या भागीदारी विलेख की प्रतिलिपि सं समर्थित हो)..... 5. दूरभाष संख्या..... 6. क्षेत्र या मार्ग जिसके लिए परमिट वांछित है..... 7. विद्यालय का नाम और समय 1..... 2..... 3..... 4.....	**एतदद्वारा प्रतिस्थापित प्रपत्र** **प्रपत्र एस°आर°-23क** **[नियम-222 ख(1)देखिये]** **शिक्षा संस्था बस परमिट स्वीकृति हेतु आवेदन** सेवा में, सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण, ... मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 69, 70 और 71 के उपबंधों के अनुसार, मैं/हम अधोहस्ताक्षरी, एतद्वारा अधिनियम की धारा-66 के अधीन विद्यालय बस/विद्यालय यान परमिट के लिए आवेदन करता हूं। 1. पूरा नाम..... 2. पिता/पति का नाम..... 3 आयु..... 4. पूरा पता..... (क) स्थायी- (ख) वर्तमान-(किसी व्यक्ति की दशा में राशन कार्ड, विद्युत बिल अथवा किसी अन्य विधिमान्य दस्तावेजी प्रमाण की अनुप्रमाणित प्रतिलिपि, जो परिवहन प्राधिकरण का समाधान करते हो और कम्पनी या फर्म की दशा में संगम ज्ञापन की प्रमाणित प्रतिलिपि या भागीदारी विलेख की प्रतिलिपि सं समर्थित हो)..... 5. दूरभाष संख्या..... 6. क्षेत्र या मार्ग जिसके लिए परमिट वांछित है..... 7. विद्यालय का नाम और समय 1..... 2..... 3..... 4.....

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

	8. बैठने की क्षमता..... 9. यान का प्रकार, इसका मॉडल और रजिस्ट्रीकरण चिन्ह..... 10. यान मेरे/हमारे कब्जे में है और यान के संबंध में रजिस्ट्रीकरण और बीमा प्रमाण पत्र इसके साथ संलग्न करता हूँ/करते हैं..... 11. मैंने/हमने अभी तक यान का कब्जा प्राप्त नहीं किया है और मैं/हम यान क्रय कर प्रस्तुत करूंगा। 12. मैं/हम एतद्वारा, घोषणा करता हूं कि उपरोक्त कथन सत्य हैं। दिनांक..... स्थान..... आवेदक/आवेदकों के हस्ताक्षर/अंगूठा का निशान। (संभागीय परिवहन प्राधिकरण के कार्यालय द्वारा भरा जायेगा) 1. रसीद का दिनांक 2. बैठक में विचार का दिनांक 3. दिनांक.....स्वीकृत/अस्वीकृत 4. परमिट की संख्या..... सचिव, संभागीय परिवहन प्राधिकरण.....	7क. वह रीति जिसमें किराये या पारिश्रमिक के लिए या आवेदक द्वारा चलाये जाने वाले व्यापार या कारबार के सम्बन्ध से भिन्न व्यक्तियों को ले जाने के प्रयोजन की पूर्ति यान द्वारा की जायेगी..... 8. बैठने की क्षमता..... 9. यान का प्रकार, इसका मॉडल और रजिस्ट्रीकरण चिन्ह..... 10. यान मेरे/हमारे कब्जे में है और यान के संबंध में रजिस्ट्रीकरण और बीमा प्रमाण पत्र इसके साथ संलग्न करता हूँ/करते हैं..... 11. मैंने/हमने अभी तक यान का कब्जा प्राप्त नहीं किया है और मैं/हम यान क्रय कर प्रस्तुत करूंगा। 12. मैं/हम एतद्वारा, घोषणा करता हूं कि उपरोक्त कथन सत्य हैं। दिनांक..... स्थान..... आवेदक/आवेदकों के हस्ताक्षर/अंगूठा का निशान। (संभागीय परिवहन प्राधिकरण के कार्यालय द्वारा भरा जायेगा) 1. रसीद का दिनांक 2. बैठक में विचार का दिनांक 3. दिनांक.....स्वीकृत/अस्वीकृत 4. परमिट की संख्या..... सचिव, संभागीय परिवहन प्राधिकरण.....
प्रपत्र एस॰आर॰-27क एवं एस॰आर॰-27ख का संशोधन	7- द्वितीय अनुसूची में, नीचे स्तम्भ-1 में दिये गये प्रपत्र एस0आर027क एवं एस0आर027ख के स्थान पर, स्तम्भ-2 में दिये गये प्रपत्र रख दिये जायेंगे, अर्थात् :-	
	स्तम्भ-1	स्तम्भ-2
	विद्यमान प्रपत्र	एतदद्वारा प्रतिस्थापित प्रपत्र
	प्रपत्र एस॰आर॰-27क **[नियम-222 घ(2)देखिये]** ठेका गाड़ी के सम्बन्ध में परमिट (यदि यान स्वामी और विद्यालय के मध्य करार हस्ताक्षरित हुआ हो।) .....परिवहन प्राधिकरण परमिट संख्या ..... 1. धारक का नाम ..... 2. पिता/पति का नाम (व्यक्ति के मामले में) ..... 3. पता- (एक) स्थायी..... (दो) वर्तमान..... 4. (एक) यान का रजिस्ट्रीकरण चिन्ह ..... (दो) माडल..... (तीन) चेसिस संख्या..... (चार) इंजन संख्या..... (पाँच) यान का वर्ग..... (छः) वाहन .....के साथ अवक्रय करार के अधीन है। 5. मार्ग/क्षेत्र जिसके लिए परमिट विधिमान्य है..... 6. परमिट के अवसान का दिनांक..... 7. किराया की प्रति किलोमीटर की दर..... 8. यह परमिट मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा	**प्रपत्र एस॰आर॰-27क** **[नियम-222 ख(2)देखिये]** ठेका गाड़ी के सम्बन्ध में परमिट (यदि यान स्वामी और विद्यालय के मध्य करार हस्ताक्षरित हुआ हो।) .....परिवहन प्राधिकरण परमिट संख्या ..... 1. धारक का नाम ..... 2. पिता/पति का नाम (व्यक्ति के मामले में) ..... 3. पता- (एक) स्थायी..... (दो) वर्तमान..... 4. (एक) यान का रजिस्ट्रीकरण चिन्ह ..... (दो) माडल..... (तीन) चेसिस संख्या..... (चार) इंजन संख्या..... (पाँच) यान का वर्ग..... (छः) वाहन .....के साथ अवक्रय करार के अधीन है। 5. मार्ग/क्षेत्र जिसके लिए परमिट विधिमान्य है..... 6. परमिट के अवसान का दिनांक..... 7. किराया की प्रति किलोमीटर की दर..... 8. यह परमिट मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 84

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

	84 में अधिकथित शर्तो के अध्यधीन होगी। 9. रखे जाने वाले अभिलेख और दिनांक जब विवरणी परिवहन प्राधिकरण को प्रस्तुत की जायेगी..... 10. अन्य शर्तें- (1) यह कि ऐसे परमिट से आच्छादित यान का उपयोग किसी भी दशा में किसी सार्वजनिक स्थान में उस अवधि के दौरान नहीं किया जायेगा, जिसमें उससे सम्बन्धित रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र, उत्तर प्रदेश मोटर यान कराधान अधिनियम, 1997 और तद्धीन बनाये गये नियमों के उपबन्धों के अनुसार अभ्यर्पित किया जाये या अभ्यर्पित कर दिया गया हो या निलम्बित या रद्द कर दिया गया हो। (2) यह कि ऐसे परमिट से आच्छादित यान का उपयोग किसी भी दशा में किसी सार्वजनिक स्थान में नहीं किया जायेगा जब तक कि राज्य सरकार द्वारा उद्ग्रहित और उसके सम्बन्ध में संदेय करों का सम्यक् रूप से संदत्त न कर दिया गया हो, और यदि यथास्थिति, उत्तर प्रदेश मोटर यान कराधान अधिनियम, 1997 के अधीन ऐसे कर का सम्यक् रूप से संदत्त नहीं किया जाता है, तो यह उपधारणा की जायेगी कि परमिट के धारक ने साशय ऐसे कर के संदाय का अपवंचन किया है। (3) यह कि धारा 82 की उपधारा (2) में यथा उपबन्धित के सिवाय परिवहन प्राधिकरण, जिसने परमिट स्वीकृत किया हो, की अनुज्ञा के सिवाय परमिट किसी अन्य व्यक्ति को अन्तरित नहीं किया जायेगा। (4) यह कि यान का उपयोग परमिट में विनिर्दिष्ट क्षेत्र में या मार्ग पर या मार्गों पर किया जायेगा। (5) यह कि व्यक्तियों की अधिकतम संख्या या सामान का अधिकतम भार जो परमिट से आच्छादित यान में ले जाया जा सके, रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र में दी गयी संख्या या भार से अधिक नहीं होगा। (6) यह कि केवल ऐसे विज्ञापन विषय, जो सीधे परमिटधारक के कारबार से सम्बन्धित हो, जिसके अग्रसर करने में परमिट प्राप्त किया जाये और जो किसी भी प्रकार यान की पहचान को परिवर्तित नहीं करता, यान पर, यान के बोनट, फ्रंट स्क्रीन और डैश बोर्ड के किसी भाग के सिवाय प्रदर्शित किया जा सकता है। परन्तु विज्ञापन का कोई विषय यान के ऊपर रंगे हुए, खुदे हुए या जुड़े हुए किसी सारवान विवरण को न तो आच्छादित करेगा और न उसके 20 सेंटीमीटर के कम की दूरी पर होगा। (7) यह कि परमिट को परमिटधारक द्वारा ऐसी रीति से ले जाया जायेगा कि वह किसी भी समय किसी प्राधिकृत व्यक्ति के निरीक्षण के लिये तुरन्त उपलब्ध हो सके।	में अधिकथित शर्तो के अध्यधीन होगी। 9. रखे जाने वाले अभिलेख और दिनांक जब विवरणी परिवहन प्राधिकरण को प्रस्तुत की जायेगी..... 10. अन्य शर्तें- (1) यह कि ऐसे परमिट से आच्छादित यान का उपयोग किसी भी दशा में किसी सार्वजनिक स्थान में उस अवधि के दौरान नहीं किया जायेगा, जिसमें उससे सम्बन्धित रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र, उत्तर प्रदेश मोटर यान कराधान अधिनियम, 1997 और तद्धीन बनाये गये नियमों के उपबन्धों के अनुसार अभ्यर्पित किया जाये या अभ्यर्पित कर दिया गया हो या निलम्बित या रद्द कर दिया गया हो। (2) यह कि ऐसे परमिट से आच्छादित यान का उपयोग किसी भी दशा में किसी सार्वजनिक स्थान में नहीं किया जायेगा जब तक कि राज्य सरकार द्वारा उद्ग्रहित और उसके सम्बन्ध में संदेय करों का सम्यक् रूप से संदत्त न कर दिया गया हो, और यदि यथास्थिति, उत्तर प्रदेश मोटर यान कराधान अधिनियम, 1997 के अधीन ऐसे कर का सम्यक् रूप से संदत्त नहीं किया जाता है, तो यह उपधारणा की जायेगी कि परमिट के धारक ने साशय ऐसे कर के संदाय का अपवंचन किया है। (3) यह कि धारा 82 की उपधारा (2) में यथा उपबन्धित के सिवाय परिवहन प्राधिकरण, जिसने परमिट स्वीकृत किया हो, की अनुज्ञा के सिवाय परमिट किसी अन्य व्यक्ति को अन्तरित नहीं किया जायेगा। (4) यह कि यान का उपयोग परमिट में विनिर्दिष्ट क्षेत्र में या मार्ग पर या मार्गों पर किया जायेगा। (5) यह कि व्यक्तियों की अधिकतम संख्या या सामान का अधिकतम भार जो परमिट से आच्छादित यान में ले जाया जा सके, रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र में दी गयी संख्या या भार से अधिक नहीं होगा। (6) यह कि केवल ऐसे विज्ञापन विषय, जो सीधे परमिटधारक के कारबार से सम्बन्धित हो, जिसके अग्रसर करने में परमिट प्राप्त किया जाये और जो किसी भी प्रकार यान की पहचान को परिवर्तित नहीं करता, यान पर, यान के बोनट, फ्रंट स्क्रीन और डैश बोर्ड के किसी भाग के सिवाय प्रदर्शित किया जा सकता है। परन्तु विज्ञापन का कोई विषय यान के ऊपर रंगे हुए, खुदे हुए या जुड़े हुए किसी सारवान विवरण को न तो आच्छादित करेगा और न उसके 20 सेंटीमीटर के कम की दूरी पर होगा। (7) यह कि परमिट को परमिटधारक द्वारा ऐसी रीति से ले जाया जायेगा कि वह किसी भी समय किसी प्राधिकृत व्यक्ति के निरीक्षण के लिये तुरन्त उपलब्ध हो सके।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

	11. कोई अन्य शर्त..... दिनांक..... सचिव, ...परिवहन प्राधिकरण 12. परमिट, नीचे दिये गये सम्भागों में और शर्त के अध्यधीन विधिमान्य होगी- **सम्भाग** | **मार्ग/क्षेत्र** | **शर्ते** **1** | **2** | **3** | | | दिनांक..... सचिव .....संभागीय परिवहन प्राधिकरण **नवीकरण** यह परमिट एतद्वारा दिनांक ..... से.....तक निम्नलिखित अग्रेतर शर्तों के अध्यधीन रहते हुए नवीकृत की जाती है। (1) (2) (3) किसी पूर्ववर्ती प्रतिहस्ताक्षर के साथ संलग्न किन्हीं शर्तों के अध्यधीन यह निम्नलिखित राज्य/सम्भागों में प्रभावी होगा। दिनांक ..... सचिव, ...संभागीय परिवहन प्राधिकरण **प्रतिहस्ताक्षर** .....परिवहन प्राधिकरण, संख्या..... निम्नलिखित परिवर्तन (variation)के अध्यधीन मार्ग/क्षेत्र.....के लिए प्रतिहस्ताक्षरित- (1) (2) (3) दिनांक ..... सचिव, ...संभागीय परिवहन प्राधिकरण **प्रतिहस्ताक्षर का नवीकरण** उपरोक्त प्रतिहस्ताक्षर, एतद्वारा, ...तक नवीकृत किया जाता है। दिनांक ..... सचिव, ...संभागीय परिवहन प्राधिकरण	11. कोई अन्य शर्त..... दिनांक..... सचिव, ...परिवहन प्राधिकरण 12. परमिट, नीचे दिये गये सम्भागों में और शर्त के अध्यधीन विधिमान्य होगी- **सम्भाग** | **मार्ग/क्षेत्र** | **शर्ते** **1** | **2** | **3** | | | दिनांक..... सचिव .....संभागीय परिवहन प्राधिकरण **नवीकरण** यह परमिट एतद्वारा दिनांक ..... से.....तक निम्नलिखित अग्रेतर शर्तों के अध्यधीन रहते हुए नवीकृत की जाती है। (1) (2) (3) किसी पूर्ववर्ती प्रतिहस्ताक्षर के साथ संलग्न किन्हीं शर्तों के अध्यधीन यह निम्नलिखित राज्य/सम्भागों में प्रभावी होगा। दिनांक ..... सचिव, ...संभागीय परिवहन प्राधिकरण **प्रतिहस्ताक्षर** .....परिवहन प्राधिकरण, संख्या..... निम्नलिखित परिवर्तन (variation)के अध्यधीन मार्ग/क्षेत्र.....के लिए प्रतिहस्ताक्षरित- (1) (2) (3) दिनांक ..... सचिव, ...संभागीय परिवहन प्राधिकरण **प्रतिहस्ताक्षर का नवीकरण** उपरोक्त प्रतिहस्ताक्षर, एतद्वारा, ...तक नवीकृत किया जाता है। दिनांक ..... सचिव, ...संभागीय परिवहन प्राधिकरण
	प्रपत्र एस॰आर॰-27ख **[नियम -222 घ(3)देखिये]** **ठेका गाड़ी के सम्बन्ध में परमिट** (यदि यान स्वामी एवं विद्यालय अथवा अभिभावक के मध्य करार हस्ताक्षरित हुआ हो।) .....परिवहन प्राधिकरण परमिट संख्या ..... 1. धारक का नाम ..... 2. पिता/पति का नाम (व्यक्ति के मामले में)	**प्रपत्र एस॰आर॰-27ख** **[नियम -222 ख(3)देखिये]** **ठेका गाड़ी के सम्बन्ध में परमिट** (यदि यान स्वामी एवं विद्यालय अथवा अभिभावक के मध्य करार हस्ताक्षरित हुआ हो।) .....परिवहन प्राधिकरण परमिट संख्या ..... 1. धारक का नाम ..... 2. पिता/पति का नाम (व्यक्ति के मामले में) .....

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

	3. पता- (एक) स्थायी..... (दो) वर्तमान..... 4. (एक) यान का रजिस्ट्रीकरण चिन्ह (दो) माडल..... (तीन) चेसिस संख्या..... (चार) इंजन संख्या..... (पाँच) यान का वर्ग..... (छः) यान .....के साथ हायर परचेज करार के अधीन है। 5. मार्ग/क्षेत्र जिसके लिए परमिट विधिमान्य है..... 6. परमिट के अवसान का दिनांक..... 7. किराया की प्रति किलोमीटर की दर.... 8. यह परमिट मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 84 में उपबन्धित शर्तों के अध्यथीन रहते हुए होगी। 9. रखे जाने वाले अभिलेख और दिनांक जब विवरणी परिवहन प्राधिकरण को प्रस्तुत की जायेगी..... 10. अन्य शर्तें- (1) यह कि ऐसे परमिट से आच्छादित यान का उपयोग किसी भी दशा में किसी सार्वजनिक स्थान में उस अवधि के दौरान नहीं किया जायेगा, जिसमें उससे सम्बन्धित रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र, उत्तर प्रदेश मोटर यान कराधान अधिनियम, 1997 और तद्धीन बनाये गये नियमों के उपबन्धों के अनुसार अभ्यर्पित किया जाये या अभ्यर्पित कर दिया गया हो या निलम्बित या रद्द कर दिया गया हो; (2) यह कि ऐसे परमिट से आच्छादित यान का प्रयोग किसी भी दशा में किसी सार्वजनिक स्थान में नहीं किया जायेगा जब तक कि राज्य सरकार द्वारा उद्ग्रहीत और उसके सम्बन्ध में संदेय करों का सम्यक् रूप से संदत्त न कर दिया गया हो, और यदि यथास्थिति, उत्तर प्रदेश मोटर यान कराधान अधिनियम, 1997 के अधीन ऐसे कर का सम्यक् रूप से संदत्त नहीं किया जाता है, तो यह उपधारणा की जायेगी कि परमिट के धारक ने साशय ऐसे कर के संदाय का अपवंचन किया है; (3) यह कि धारा 82 की उपधारा (2) में यथा उपबन्धित को छोड़कर परमिट परिवहन प्राधिकरण, जिसने परमिट स्वीकृत किया हो, की अनुज्ञा के सिवाय परमिट किसी अन्य व्यक्ति को अन्तरित नहीं की जायेगी; (4) यह कि यान का उपयोग परमिट में विनिर्दिष्ट क्षेत्र में या मार्ग पर या मार्गों पर किया जायेगा;	3. पता- (एक) स्थायी..... (दो) वर्तमान..... 4. (एक) यान का रजिस्ट्रीकरण चिन्ह (दो) माडल..... (तीन) चेसिस संख्या..... (चार) इंजन संख्या..... (पाँच) यान का वर्ग..... (छः) यान .....के साथ हायर परचेज करार के अधीन है। 5. मार्ग/क्षेत्र जिसके लिए परमिट विधिमान्य है..... 6. परमिट के अवसान का दिनांक..... 7. किराया की प्रति किलोमीटर की दर..... 8. यह परमिट मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 84 में उपबन्धित शर्तों के अध्यथीन रहते हुए होगी। 9. रखे जाने वाले अभिलेख और दिनांक जब विवरणी परिवहन प्राधिकरण को प्रस्तुत की जायेगी..... 10. अन्य शर्तें- (1) यह कि ऐसे परमिट से आच्छादित यान का उपयोग किसी भी दशा में किसी सार्वजनिक स्थान में उस अवधि के दौरान नहीं किया जायेगा, जिसमें उससे सम्बन्धित रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र, उत्तर प्रदेश मोटर यान कराधान अधिनियम, 1997 और तद्धीन बनाये गये नियमों के उपबन्धों के अनुसार अभ्यर्पित किया जाये या अभ्यर्पित कर दिया गया हो या निलम्बित या रद्द कर दिया गया हो; (2) यह कि ऐसे परमिट से आच्छादित यान का प्रयोग किसी भी दशा में किसी सार्वजनिक स्थान में नहीं किया जायेगा जब तक कि राज्य सरकार द्वारा उद्ग्रहीत और उसके सम्बन्ध में संदेय करों का सम्यक् रूप से संदत्त न कर दिया गया हो, और यदि यथास्थिति, उत्तर प्रदेश मोटर यान कराधान अधिनियम, 1997 के अधीन ऐसे कर का सम्यक् रूप से संदत्त नहीं किया जाता है, तो यह उपधारणा की जायेगी कि परमिट के धारक ने साशय ऐसे कर के संदाय का अपवंचन किया है; (3) यह कि धारा 82 की उपधारा (2) में यथा उपबन्धित को छोड़कर परमिट परिवहन प्राधिकरण, जिसने परमिट स्वीकृत किया हो, की अनुज्ञा के सिवाय परमिट किसी अन्य व्यक्ति को अन्तरित नहीं की जायेगी; (4) यह कि यान का उपयोग परमिट में विनिर्दिष्ट क्षेत्र में या मार्ग पर या मार्गों पर किया जायेगा;

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

	(5) यह कि व्यक्तियों की अधिकतम संख्या या सामान का अधिकतम भार जो परमिट से आच्छादित यान में ले सके, रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र में दी गयी संख्या या भार से अधिक नहीं होगा। (6) यह कि केवल ऐसे विज्ञापन विषय, जो सीधे परमिटधारक के कारबार से सम्बन्धित हो, जिसके अग्रसर करने में परमिट प्राप्त किया जाये और जो किसी भी प्रकार यान की पहचान को परिवर्तित नहीं करता, यान पर, यान के बोनट, फ्रंट स्क्रीन और डैश बोर्ड के किसी भाग के सिवाय प्रदर्शित किया जा सकता है; परन्तु यह है कि विज्ञापन का कोई विषय यान के ऊपर रंगे हुए, खुदे हुए या जुड़े हुए किसी सारवान विवरण को न तो आच्छादित करेगा और न उसके 20 सेंटीमीटर के कम की दूरी पर होगा। (7) यह कि परमिट को परमिटधारक द्वारा ऐसी रीति से ले जाया जायेगा कि वह किसी भी समय किसी प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा निरीक्षण के लिये तुरन्त उपलब्ध हो सके। 11. कोई अन्य शर्त..... दिनांक..... सचिव, संभागीय परिवहन प्राधिकरण 12. परमिट, नीचे दिये गये सम्भागों में और शर्त के अध्यधीन विधिमान्य होगी-	(5) यह कि व्यक्तियों की अधिकतम संख्या या सामान का अधिकतम भार जो परमिट से आच्छादित यान में ले सके, रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र में दी गयी संख्या या भार से अधिक नहीं होगा। (6) यह कि केवल ऐसे विज्ञापन विषय, जो सीधे परमिटधारक के कारबार से सम्बन्धित हो, जिसके अग्रसर करने में परमिट प्राप्त किया जाये और जो किसी भी प्रकार यान की पहचान को परिवर्तित नहीं करता, यान पर, यान के बोनट, फ्रंट स्क्रीन और डैश बोर्ड के किसी भाग के सिवाय प्रदर्शित किया जा सकता है; परन्तु यह है कि विज्ञापन का कोई विषय यान के ऊपर रंगे हुए, खुदे हुए या जुड़े हुए किसी सारवान विवरण को न तो आच्छादित करेगा और न उसके 20 सेंटीमीटर के कम की दूरी पर होगा। (7) यह कि परमिट को परमिटधारक द्वारा ऐसी रीति से ले जाया जायेगा कि वह किसी भी समय किसी प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा निरीक्षण के लिये तुरन्त उपलब्ध हो सके। 11. कोई अन्य शर्त..... दिनांक..... सचिव, संभागीय परिवहन प्राधिकरण 12. परमिट, नीचे दिये गये सम्भागों में और शर्त के अध्यधीन विधिमान्य होगी-

सम्भाग	मार्ग/क्षेत्र	शर्तें
1	2	3

सम्भाग	मार्ग/क्षेत्र	शर्तें
1	2	3

दिनांक..... सचिव संभागीय परिवहन प्राधिकरण **नवीकरण** यह परमिट एतद्वारा दिनांक ....से.....तक निम्नलिखित अग्रेतर शर्तों के अध्यधीन रहते हुए नवीकृत की जाती है। (1) (2) (3) किसी पूर्ववर्ती प्रतिहस्ताक्षर, के साथ.....शर्तों के अध्यधीन यह निम्नलिखित राज्य/सम्भागों में प्रभावी होगी।	दिनांक..... सचिव संभागीय परिवहन प्राधिकरण **नवीकरण** यह परमिट एतद्वारा दिनांक ....से.....तक निम्नलिखित अग्रेतर शर्तों के अध्यधीन रहते हुए नवीकृत की जाती है। (1) (2) (3) किसी पूर्ववर्ती प्रतिहस्ताक्षर, के साथ.....शर्तों के अध्यधीन यह निम्नलिखित राज्य/सम्भागों में प्रभावी होगी।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

	दिनांक ..... सचिव, संभागीय परिवहन प्राधिकरण **प्रतिहस्ताक्षर** .....परिवहन प्राधिकरण, संख्या..... शर्तों में निम्नलिखित फेर-फार के अध्यधीन रहते हुए मार्ग/क्षेत्र.....के लिए प्रतिहस्ताक्षरित- (1) (2) (3) दिनांक ..... सचिव, संभागीय परिवहन प्राधिकरण **प्रतिहस्ताक्षर का नवीकरण** उपरोक्त प्रतिहस्ताक्षर, एतद्वारा, ...तक नवीकृत किया जाता है। दिनांक ..... सचिव, संभागीय परिवहन प्राधिकरण	दिनांक ..... सचिव, संभागीय परिवहन प्राधिकरण **प्रतिहस्ताक्षर** .....परिवहन प्राधिकरण, संख्या..... शर्तों में निम्नलिखित फेर-फार के अध्यधीन रहते हुए मार्ग/क्षेत्र.....के लिए प्रतिहस्ताक्षरित- (1) (2) (3) दिनांक ..... सचिव, संभागीय परिवहन प्राधिकरण **प्रतिहस्ताक्षर का नवीकरण** उपरोक्त प्रतिहस्ताक्षर, एतद्वारा, ...तक नवीकृत किया जाता है। दिनांक ..... सचिव, संभागीय परिवहन प्राधिकरण
प्रपत्र एस0आर0 29क का संशोधन	**8-** द्वितीय अनुसूची में , नीचे स्तम्भ-1 में दिये गये प्रपत्र एस0आर0 29 के स्थान पर, स्तम्भ-2 में दिया गया प्रपत्र रख दिया जायेगा, अर्थात -	
	स्तम्भ-1	स्तम्भ-2
	विद्यमान प्रपत्र	एतदद्वारा प्रतिस्थापित प्रपत्र
	प्रपत्र एस॰आर॰-29क **[नियम-222 घ(1)देखिये]** निजी सेवायान परमिट .....परिवहन प्राधिकरण परमिट संख्या ..... 1. धारक का नाम ..... 2. पिता/पति का नाम (व्यक्ति के मामले में)..... 3. पता- (क) स्थायी..... (ख) वर्तमान ..... 4. कारबार का स्थान और प्रकृति (डाक पते के साथ) ..... 5. क्षेत्र या मार्ग (मार्गों) जिसके लिए परमिट विधिमान्य है ..... 6. यान का प्रकार और उसमें बैठने की क्षमता ..... 7. विद्यालय स्थल को और वहाँ से लाये जाने वाले व्यक्तियों की प्रकृति और उनकी अधिकतम संख्या..... 8. परमिट के अवसान का दिनांक ..... 9. शर्तें - (क). यान का उपयोग केवल परमिट में निर्दिष्ट क्षेत्र में यान मार्ग या मार्गों पर किया जाएगा।	**प्रपत्र एस॰आर॰-29क** **[नियम-222 ख(1)देखिये]** निजी सेवायान परमिट .....परिवहन प्राधिकरण परमिट संख्या ..... 1. धारक का नाम ..... 2. पिता/पति का नाम (व्यक्ति के मामले में)..... 3. पता- (क) स्थायी..... (ख) वर्तमान ..... 4. कारबार का स्थान और प्रकृति (डाक पते के साथ) ..... 5. क्षेत्र या मार्ग (मार्गों) जिसके लिए परमिट विधिमान्य है..... 6. यान का प्रकार और उसमें बैठने की क्षमता ..... 7. विद्यालय स्थल को और वहाँ से लाये जाने वाले व्यक्तियों की प्रकृति और उनकी अधिकतम संख्या..... 8. परमिट के अवसान का दिनांक ..... 9. शर्तें - (क). यान का उपयोग केवल परमिट में निर्दिष्ट क्षेत्र में यान मार्ग या मार्गों पर किया जाएगा।

यान का रजिस्ट्रीकरण चिन्ह	प्रकार	बैठने की क्षमता	सकल यान भार	यान की चेसिस संख्या
1	2	3	4	5

यान का रजिस्ट्रीकरण चिन्ह	प्रकार	बैठने की क्षमता	सकल यान भार	यान की चेसिस संख्या
1	2	3	4	5

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

	(ख). परमिटधारक यान के सामने छत के स्तर पर लगाये गये पट्टे या प्लेट या सफेद आधार पर काले अक्षरों में कम से कम 10 सेन्टीमीटर की ऊँचाई के शब्द "निजी सेवायान" सुपाठ्य रूप से संप्रदर्शित करेगा।	(ख). परमिटधारक यान के सामने छत के स्तर पर लगाये गये पट्टे या प्लेट या सफेद आधार पर काले अक्षरों में कम से कम 10 सेन्टीमीटर की ऊँचाई के शब्द "निजी सेवायान" सुपाठ्य रूप से संप्रदर्शित करेगा।
	(ग). परमिट से आच्छादित यान में ऐसे व्यक्तियों की जिन्हें यान में ले जाया जा सका है अधिकतम संख्या ..... से अधिक नहीं होगी और सामान जो ले जाया जा सकता है अधिकतम भार .....कुन्तल से अधिक नहीं होगा।	(ग). परमिट से आच्छादित यान में ऐसे व्यक्तियों की जिन्हें यान में ले जाया जा सका है, अधिकतम संख्या ..... से अधिक नहीं होगी और सामान जो ले जाया जा सकता है अधिकतम भार .....कुन्तल से अधिक नहीं होगा।
	(घ). यान की सुख सुविधा, स्वच्छता और अनुरक्षण का मानक जैसा कि मोटरयान अधिनियम, 1988 या तद्धीन बनाये गये नियमों में सार्वजनिक सेवायानों के लिए विनिर्दिष्ट है, यान में बनाये रखा जायेगा।	(घ). यान की सुख सुविधा, स्वच्छता और अनुरक्षण का मानक जैसा कि मोटरयान अधिनियम, 1988 या तद्धीन बनाये गये नियमों में सार्वजनिक सेवायानों के लिए विनिर्दिष्ट है, यान में बनाये रखा जायेगा।
	(ङ). यान में कोई विज्ञापन सम्बन्धी विषय साधारणतया संप्रदर्शित नहीं किया जायेगा।	(ङ). यान में कोई विज्ञापन सम्बन्धी विषय साधारणतया संप्रदर्शित नहीं किया जायेगा।
	(च). परमिटधारक उस परिवहन प्राधिकरण को जिसके द्वारा परमिट जारी की गयी है ऐसी कालिक विवरणी, सांख्यकीय और अन्य सूचना जैसे राज्य सरकार समय-समय पर विनिर्दिष्ट करे, प्रस्तुत करेगा।	(च). परमिटधारक उस परिवहन प्राधिकरण को जिसके द्वारा परमिट जारी की गयी है ऐसी कालिक विवरणी, सांख्यकीय और अन्य सूचना जैसे राज्य सरकार समय-समय पर विनिर्दिष्ट करे, प्रस्तुत करेगा।
	(छ). परमिटधारक निम्नलिखित का भी अनुपालन करेगा- (एक) मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 84 के अधीन विहित शर्तें और अधिनियम के अन्य उपबन्ध, जहाँ तक ये परमिटधारक पर लागू होते हों। (दो) ऐसी कोई अन्य शर्त या शर्तें जिसे या जिन्हें राज्य परिवहन प्राधिकरण या सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाये।	(छ). परमिटधारक निम्नलिखित का भी अनुपालन करेगा- (एक) मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 84 के अधीन विहित शर्तें और अधिनियम के अन्य उपबन्ध, जहाँ तक ये परमिटधारक पर लागू होते हों। (दो) ऐसी कोई अन्य शर्त या शर्तें जिसे या जिन्हें राज्य परिवहन प्राधिकरण या सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाये।
	(ज). ऐसा परिवहन प्राधिकरण जिसके द्वारा परमिट जारी की गयी है, कम से कम एक मास की सूचना देने के पश्चात् परमिट की शर्तों में परिवर्तन कर सकता है या उसमें कोई अग्रतर शर्तें बढ़ा सकता है।	(ज). ऐसा परिवहन प्राधिकरण जिसके द्वारा परमिट जारी की गयी है, कम से कम एक मास की सूचना देने के पश्चात् परमिट की शर्तों में परिवर्तन कर सकता है या उसमें कोई अग्रतर शर्तें बढ़ा सकता है।
	10. अन्य कोई शर्तें- (1) यह कि ऐसे परमिट से आच्छादित यान का प्रयोग किसी भी दशा में किसी सार्वजनिक स्थान में तब तक उस अवधि के दौरान नहीं किया जायेगा, जिसमें उससे सम्बन्धित रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र और टोकन उत्तर प्रदेश मोटर यान कराधान अधिनियम, 1997 और तद्धीन बनाये गये नियमों के उपबन्धों के अनुसार अभ्यर्पित किया जाये या अभ्यर्पित कर दिया गया हो या निलम्बित या रद्द कर दिया गया हो। (2) यह कि ऐसे परमिट से आच्छादित यान का प्रयोग किसी भी दशा में किसी सार्वजनिक स्थान में तब तक नहीं किया जायेगा जब तक कि राज्य सरकार द्वारा उद्ग्रहीत और उसके सम्बन्ध में देय करों का सम्यक्	10. अन्य कोई शर्तें- (1) यह कि ऐसे परमिट से आच्छादित यान का प्रयोग किसी भी दशा में किसी सार्वजनिक स्थान में तब तक उस अवधि के दौरान नहीं किया जायेगा, जिसमें उससे सम्बन्धित रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र और टोकन उत्तर प्रदेश मोटर यान कराधान अधिनियम, 1997 और तद्धीन बनाये गये नियमों के उपबन्धों के अनुसार अभ्यर्पित किया जाये या अभ्यर्पित कर दिया गया हो या निलम्बित या रद्द कर दिया गया हो। (2) यह कि ऐसे परमिट से आच्छादित यान का प्रयोग किसी भी दशा में किसी सार्वजनिक स्थान में तब तक नहीं किया जायेगा जब तक कि राज्य सरकार द्वारा उद्ग्रहीत और उसके सम्बन्ध में देय करों का सम्यक् भुगतान न कर

http://shasanadesh.up.gov.in

	भुगतान न कर दिया गया हो, और यदि यथास्थिति, उत्तर प्रदेश मोटर यान कराधान अधिनियम, 1997 में ऐसे कर का सम्यक् भुगतान नहीं किया जाता है, तो यह उपधारणा की जायेगी कि परमिट के धारक ने साशय ऐसे कर के भुगतान का अपवंचन किया है।	दिया गया हो, और यदि यथास्थिति, उत्तर प्रदेश मोटर यान कराधान अधिनियम, 1997 में ऐसे कर का सम्यक् भुगतान नहीं किया जाता है, तो यह उपधारणा की जायेगी कि परमिट के धारक ने साशय ऐसे कर के भुगतान का अपवंचन किया है।
	(3) यह कि धारा 82 की उपधारा (2) में यथा उपबन्धित के सिवाय परिवहन प्राधिकरण, जिसने परमिट स्वीकृत किया हो, की अनुज्ञा के सिवाय परमिट किसी अन्य व्यक्ति को अन्तरित नहीं की जायेगी।	(3) यह कि धारा 82 की उपधारा (2) में यथा उपबन्धित के सिवाय परिवहन प्राधिकरण, जिसने परमिट स्वीकृत किया हो, की अनुज्ञा के सिवाय परमिट किसी अन्य व्यक्ति को अन्तरित नहीं की जायेगी।
	(4) यह कि यान का प्रयोग परमिट में विनिर्दिष्ट क्षेत्र में या मार्ग पर या मार्गों पर किया जायेगा।	(4) यह कि यान का प्रयोग परमिट में विनिर्दिष्ट क्षेत्र में या मार्ग पर या मार्गों पर किया जायेगा।
	(5) यह कि व्यक्तियों की अधिकतम संख्या या सामान का अधिकतम भार जो परमिट से आच्छादित यान में ले जा सके, रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र में दी गयी संख्या या भार से अधिक नहीं होगा।	(5) यह कि व्यक्तियों की अधिकतम संख्या या सामान का अधिकतम भार जो परमिट से आच्छादित यान में ले जा सके, रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र में दी गयी संख्या या भार से अधिक नहीं होगा।
	(6) यह कि केवल ऐसे विज्ञापन विषय, जो सीधे परमिटधारक के कारबार से सम्बन्धित हो, जिसके अग्रसर करने में परमिट प्राप्त किया जाये और जो किसी भी प्रकार यान की पहचान को परिवर्तित नहीं करता, यान पर बोनट, फ्रंट स्क्रीन और डैश बोर्ड के किसी भाग के सिवाय प्रदर्शित किया जा सकता है। परन्तु यह कि विज्ञापन का कोई विषय यान के ऊपर रंगे हुए, खुदे हुए या जुड़े हुए किसी सारवान विवरण को न तो आच्छादित करेगा और न उसके 20 सेंटीमीटर के कम की दूरी पर होगा।	(6) यह कि केवल ऐसे विज्ञापन विषय, जो सीधे परमिटधारक के कारबार से सम्बन्धित हो, जिसके अग्रसर करने में परमिट प्राप्त किया जाये और जो किसी भी प्रकार यान की पहचान को परिवर्तित नहीं करता, यान पर बोनट, फ्रंट स्क्रीन और डैश बोर्ड के किसी भाग के सिवाय प्रदर्शित किया जा सकता है। परन्तु यह कि विज्ञापन का कोई विषय यान के ऊपर रंगे हुए, खुदे हुए या जुड़े हुए किसी सारवान विवरण को न तो आच्छादित करेगा और न उसके 20 सेंटीमीटर के कम की दूरी पर होगा।
	(7) यह कि परमिट को परमिटधारक द्वारा ऐसी रीति से ले जाया जायेगा कि वह किसी भी समय प्राधिकृत व्यक्ति के निरीक्षण के लिये तुरन्त उपलब्ध हो सके।	(7) यह कि परमिट को परमिटधारक द्वारा ऐसी रीति से ले जाया जायेगा कि वह किसी भी समय प्राधिकृत व्यक्ति के निरीक्षण के लिये तुरन्त उपलब्ध हो सके।
	11. परमिट सम्भाग में भी नीचे दी गयी शर्तों के अध्यधीन विधिमान्य है-	11. परमिट सम्भाग में भी नीचे दी गयी शर्तों के अध्यधीन विधिमान्य है-

सम्भाग	मार्ग/क्षेत्र	शर्तें
1	2	3

सम्भाग	मार्ग/क्षेत्र	शर्तें
1	2	3

दिनांक .....

सचिव,

.....संभागीय परिवहन प्राधिकरण

नवीकरण

.....के अधीन रहते हुए.....

.....तक नवीकृत किया गया।

दिनांक .....

सचिव,

.....संभागीय परिवहन प्राधिकरण

प्रतिहस्ताक्षर

परमिट संख्या.....

निम्नलिखित संशोधन एवं शर्तों के अध्यधीन रहते

दिनांक .....

सचिव,

.....संभागीय परिवहन प्राधिकरण

नवीकरण

.....के अधीन रहते हुए.....

.....तक नवीकृत किया गया।

दिनांक .....

सचिव,

.....संभागीय परिवहन प्राधिकरण

प्रतिहस्ताक्षर

परमिट संख्या.....

निम्नलिखित संशोधन एवं शर्तों के अध्यधीन रहते

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

	हुए.....मार्ग/क्षेत्र के लिये प्रतिहस्ताक्षरित ..... दिनांक ..... सचिव, ...संभागीय परिवहन प्राधिकरण **प्रतिहस्ताक्षर का नवीकरण** उपयुक्त प्रतिहस्ताक्षर, एतद्वारा, ...तक के लिये निम्नलिखित शर्तों के अधीन नवीकृत किया जाता है। दिनांक ..... सचिव, ...संभागीय परिवहन प्राधिकरण	हुए.....मार्ग/क्षेत्र के लिये प्रतिहस्ताक्षरित ..... दिनांक ..... सचिव, ...संभागीय परिवहन प्राधिकरण **प्रतिहस्ताक्षर का नवीकरण** उपयुक्त प्रतिहस्ताक्षर, एतद्वारा, ...तक के लिये निम्नलिखित शर्तों के अधीन नवीकृत किया जाता है। दिनांक ..... सचिव, ...संभागीय परिवहन प्राधिकरण

आज्ञा से,

राजेश कुमार सिंह
प्रमुख सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

UTTAR PRADESH SHASAN
PARIVAHAN ANUBHAG-4

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 11/2022/526/XXX-4-2022-17 (sa)/2018, dated 02 May, 2022.

Notification

No 2/2022/526/XXX-4-2022-17(Sa)/2018
Lucknow: Dated 02 May, 2022

Whereas in exercise of the powers under sections 65, 95, 96, 111 of the Motor Vehicles Act, 1988 (Act no. 59 of 1988) read with section 21 of the General Clauses Act, 1897 (Act no. 10 of 1897) the following draft was published in the Gazette with a view to amending the Uttar Pradesh Motor Vehicles Rules, 1998 vide notification no. 01/2022/03/XXX-4-2022 -17(Sa)-2018, dated 04 January, 2022 as required under sub section (1) of Section 212 of the said Act of 1988;

And Whereas no objection and suggestion was received from anyone within the prescribed period with respect to the proposed rules;

Now,Therefore, in exercise of the powers under sections 65, 95, 96, 111 of the Motor Vehicles Act, 1988 (Act no. 59 of 1988) read with section 21 of the General Clauses Act, 1897 (Act no. 10 of 1897), the governor is pleased to make the following rules with a view to amending the Uttar Pradesh Motor Vehicles Rules, 1998.

THE UTTAR PRADESH MOTOR VEHICLES (TWENTY EIGHTH AMENDMENT) RULES, 2022

<table>
<tr><td>Short title and commencement</td><td>1(1) These rules may be called the Uttar Pradesh Motor Vehicles (Twenty Eighth Amendment) Rules, 2022.
(2) They shall come into force with effect from the date of their publication in the Gazette.</td></tr>
<tr><td>Amendment of Rule 222 D</td><td>2. In the Uttar Pradesh Motor Vehicles Rules, 1998, hereinafter referred to as the said rules, in rule 222 for sub-rules (2) and (3) set out in Column 1 below, the sub-rules as set out in Column 2 shall be substituted, namely :-
<table>
<tr><th>COLUMN-1
Existing sub-rule</th><th>COLUMN-2
Sub-rule as hereby substituted</th></tr>
<tr><td>(2). The diesel/CNG driven private bus (contract carriage) shall not be more than 10 years old from the date of initial registration.</td><td>(2). The diesel/CNG driven private bu (contract carriage) shall not be more tha 15 years old from the date of initia registration.</td></tr>
<tr><td>(3). The school van, driven by diesel/petrol/CNG or any other clean fuel, shall not be more than 10 years old from the date of initial registration.</td><td>(3). The school van, driven b diesel/petrol/CNG, shall not be more tha 15 years old from the date of initia registration.</td></tr>
</table></td></tr>
</table>

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

<table>
<tr><td>Amendment of Rule 222 L</td><td colspan="2">3. In the said rules in rule 222L, -
(1) in subrule (1)</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">(i) for clause (b) set out in Column 1 below, the clause as set out in Column 2 shall be substituted, namely :-</td></tr>
<tr><td></td><td>COLUMN-1</td><td>COLUMN-2</td></tr>
<tr><td></td><td>Existing clause</td><td>Clause as hereby substituted</td></tr>
<tr><td></td><td>(b). shall have necessarily an emergency gate and an emergency window. The size of the emergency gate will be 150 cmsX120 cms, which may be opened from inside and outside also. The emergency exit window will be at rear side of the vehicle which will be 150 cms X 120 cm size made of tuffened glass which will be fixed in a fixed frame. Adequate arrangement must be kept to break the glass of the emergency exit window.</td><td>(b). other than mini and midi buses, shall have an emergency exit on the opposite side of service door. In addition, there shall be an emergency exit on the rear side of bus. However in case of mini and midi buses there shall be minimum one emergency exit and it shall be situated either on the opposite side of service door or at the rear side of the bus. The lower edge of the emergency door shall be at the level of bus floor and top edge shall be at the level of upper edge of window. The width of emergency exit shall be 550 mm.</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">(ii) for clause (j) set out in Column 1 below, the clause as set out in Column 2 shall be substituted, namely :-</td></tr>
<tr><td></td><td>COLUMN-1</td><td>COLUMN-2</td></tr>
<tr><td></td><td>Existing clause</td><td>Clause as hereby substituted</td></tr>
<tr><td></td><td>(j) shall be equipped with seat belts in all seats.</td><td>(j) shall be equipped with seat belts.</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">(iii) after clause (m), the following clause shall be inserted, namely :-</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">(m-i). shall not carry more number of students than the seating capacity mentioned in the certificate of registration.
Provided that in the case of School Buses, carrying children below the age of twelve years, 1.5 times of the seating capacity shall be permitted.</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">(iv) for clauses (n), (o) and (p) set out in Column 1 below, the clauses as set out in Column 2 shall be substituted, namely :-</td></tr>
<tr><td></td><td>COLUMN-1</td><td>COLUMN-2</td></tr>
<tr><td></td><td>Existing clause</td><td>Clause as hereby substituted</td></tr>
</table>

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

	(n) must be equipped with Vehicle Location Tracking Device. This provision will come into force after 03 months of the implementation of these Rules.	(n) must be equipped with Vehicle Location Tracking Device. This provision shall come into effect from the date notified separately by State Government.
	(o) The provision of CCTV camera in such bus will be compulsory. It will come into force after 03 months of the implementation of these Rules.	(o) The provision of CCTV camera in such bus will be compulsory. This provision shall come into effect from the date notified separately by State Government.
	(p) there shall be one attendant in addition to the driver and in case of girl children the attendant should be female. They shall ensure that one teacher must travel in such bus.	(p) there shall be one attendant in addition to the driver and in case of girl children the attendant should be female. One teacher may also travel in such bus as far as possible.
	(2) in subrule (2) , -	
	(i) for clause (c) set out in Column 1 below, the clause as set out in Column 2 shall be substituted, namely :-	
	COLUMN-1	**COLUMN-2**
	Existing clause	**Clause as hereby substituted**
	(c). shall have an emergency gate and an emergency window. The size of the emergency gate will be 150 cms X 120 cms, which may be opened from inside and outside both. The emergency exit window will be at rear side of the vehicle which will be 150 cms X 120 cms size made of tuffened glass which will be fixed in a fixed frame. Adequate arrangement must be made to break the glass of the emergency exit window.	(c). other than mini and midi buses, shall have an emergency exit on the opposite side of service door. In addition, there shall be an emergency exit on the rear side of bus. However in case of mini and midi buses there shall be minimum one emergency exit and it shall be situated either on the opposite side of service door or at the rear side of the bus. The lower edge of the emergency door shall be at the level of bus floor and top edge shall be at the level of upper edge of window. The width of emergency exit shall be 550 mm.
	(ii) for clause (g) set out in Column 1 below, the clause as set out in Column 2 shall be substituted, namely :-	
	COLUMN-1	**COLUMN-2**
	Existing clause	**Clause as hereby substituted**

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

	(g) shall be equipped with seat belts in all seats.	(g) shall be equipped with seat belts.
	(iii) after clause (n), the following clause shall be inserted, namely :-	
	(n-i). shall not carry more number of students than the seating capacity mentioned in the certificate of registration. Provided that in the case of School Buses, carrying children below the age of twelve years, 1.5 times of the seating capacity shall be permitted.	
	(iv) for clauses (o), (p) and (q) set out in Column 1 below, the clauses as set out in Column 2 shall be substituted, namely :-	
	COLUMN-1	**COLUMN-2**
	Existing clause	**Clause as hereby substituted**
	(o) must be equipped with Vehicle Location Tracking Device. This provision will come into force after 03 months of the implementation of these Rules.	(o) must be equipped with Vehicle Location Tracking Device. This provision shall come into effect from the date notified separately by State Government.
	(p) The provision of CCTV camera in such bus will be compulsory. It will come into force after 03 months of the implementation of these Rules.	(p) The provision of CCTV camera in such bus will be compulsory. This provision shall come into effect from the date notified separately by State Government.
	(q). there shall be one attendant in addition to the driver and in case of girl children the attendant should be female. They shall ensure that one teacher must travel in such bus.	(q). there shall be one attendant in addition to the driver and in case of girl children the attendant should be female. One teacher may also travel in such bus as far as possible.
	(3) in subrule (3), -	
	(i) for clause (d) set out in Column 1 below, the clause as set out in Column 2 shall be substituted, namely :-	
	COLUMN-1	**COLUMN-2**
	Existing clause	**Clause as hereby substituted**
	(d) shall be equipped with first aid box and one fire extinguisher of 05Kg of BIS mark.	(d) shall be equipped with first aid box and one fire extinguisher of 02Kg of BIS mark.

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

<table>
<tr><td></td><td colspan="2">(ii) for clause (f) set out in Column 1 below, the clause as set out in Column 2 shall be substituted, namely :-</td></tr>
<tr><td></td><td>COLUMN-1</td><td>COLUMN-2</td></tr>
<tr><td></td><td>Existing clause</td><td>Clause as hereby substituted</td></tr>
<tr><td></td><td>(f) shall be equipped with seat belts in all seats.</td><td>(f) shall be equipped with seat belts.</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">(iii) after clause (h), the following clause shall be inserted, namely :-</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">(h-i). shall not carry more number of students than the seating capacity mentioned in the certificate of registration.
Provided that in the case of School vans, carrying children below the age of twelve years, 1.5 times of the seating capacity shall be permitted.</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">(iv) for clauses (i), (j) and (k) set out in Column 1 below, the clauses as set out in Column 2 shall be substituted, namely :-</td></tr>
<tr><td></td><td>COLUMN-1</td><td>COLUMN-2</td></tr>
<tr><td></td><td>Existing clause</td><td>Clause as hereby substituted</td></tr>
<tr><td></td><td>(i) must be equipped with Vehicle Location Tracking Device. This provision will be come into force after 03 months of the implementation of these Rules.</td><td>(i) must be equipped with Vehicle Location Tracking Device. This provision shall come into effect from the date notified separately by State Government.</td></tr>
<tr><td></td><td>(j) The provision of CCTV camera in such school vans shall be compulsory. It will be come into force after 03 months of the implementation of these Rules.</td><td>(j) The provision of CCTV camera in such school vans shall be compulsory. This provision shall come into effect from the date notified separately by State Government.</td></tr>
<tr><td></td><td>(k). there shall be one attendant in addition to the driver and in case girl children the attendant should be female. They shall ensure that one teacher must travel there in such van.</td><td>(k). there shall be one attendant in addition to the driver and in case of girl children the attendant should be female.</td></tr>
<tr><td>Amendment of Rule 222 M</td><td colspan="2">4. In the said rules, in rule 222 M after clause (b) the following clauses shall be inserted, namely :-</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">(b-i). “Midi Bus” means an omnibus having seating capacity 23 to 37.
(b-ii). “Mini Bus” means an omnibus having seating capacity 13 to 22.</td></tr>
</table>

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

Amendment of forms SR-21A and SR-21B

5- In the second schedule for forms SR-21A and SR-21B set out in Column 1 below, the forms as set out in Column 2 shall be substituted, namely : -

	COLUMN-1	**COLUMN-2**
	Existing Forms	**Forms as hereby substituted**

Form SR-21A

[See Rule 222 D(2)]

Application for permit in respect of a contract carriage

(If the contract between the Vehicle owner and the school is signed)

To,

The State/Regional Transport Authority

In accordance with the provisions of Section 69, 73 and 80 of the Motor Vehicles Act, 1988, I/We, the undersigned hereby apply for permit under section 66 of the said act in respect of a contract carriage as hereunder set out:

1. Full name……
2. Name of the father/husband in the case of an individual and in the case of a firm or company, the name of the managing partner or the managing director as the case may be……
3. Status of the applicant, whether individual, company or partnership firm Co-operative Society, etc……
4. Full address:
   (a) Permanent……
   (b) Present……

   (To be supported by attested copy of ration card, electricity bill or any other valid documentary proof of the satisfaction of the transport authority in the case of individual and in the case of company or firm certified copy of the memorandum of association or copy of the partnership deed).
5. Area or routes for which permit is desired……
6. The type of the vehicle, its model and registration mark……
7. Registered seating capacity……
8. Particulars of service to be performed by the contract carriage and the manner in which it is claimed that public convenience will be served…..
9. Whether contract is entered with school –

   Yes/No
10. Particulars of any valid stage carriage or contract carriage permit (or similar authorization) held by the applicant:
    (a) This Vehicle:

Permit No.	Issued by	Area	Period of validity

Form SR-21A

[See Rule 222 B(2)]

Application for permit in respect of a contract carriage

(If the contract between the Vehicle owner and the school is signed)

To,

The State/Regional Transport Authority

In accordance with the provisions of Section 69, 73 and 80 of the Motor Vehicles Act, 1988, I/We, the undersigned hereby apply for permit under section 66 of the said act in respect of a contract carriage as hereunder set out:

1. Full name……
2. Name of the father/husband in the case of an individual and in the case of a firm or company, the name of the managing partner or the managing director as the case may be……
3. Status of the applicant, whether individual, company or partnership firm Co-operative Society, etc……
4. Full address:
   (a) Permanent……
   (b) Present……

   (To be supported by attested copy of ration card, electricity bill or any other valid documentary proof of the satisfaction of the transport authority in the case of individual and in the case of company or firm certified copy of the memorandum of association or copy of the partnership deed).
5. Area or routes for which permit is desired……
6. The type of the vehicle, its model and registration mark……
7. Registered seating capacity……
8. Particulars of service to be performed by the contract carriage and the manner in which it is claimed that public convenience will be served…..
9. Whether contract is entered with school – Yes/No
10. Particulars of any valid stage carriage or contract carriage permit (or similar authorization) held by the applicant:
    (a) This Vehicle:

Permit No.	Issued by	Area	Period of validity

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

	(b) Any other vehicle 11. Particulars of any permit held by the applicant in respect of the use of any transport vehicle in any state during the last four years which has been the subject of any order of suspension or cancellation, if so give details 12. Whether all the taxes in respect of the vehicles covered by permits stated above have been paid up-to-date, if so enclose no dues certificate of the concerned Taxation Officer, if not so give details of the arrears (to be supported by the certificate of the concerned Taxation Officer) 13. Details of arrangements made for comfort and convenience of hirers and for the storage and safe custody of the luggage 14. I/We are in possession of vehicle and enclose herewith certificates or registration and insurance in respect of the vehicle 15. I/We have paid the prescribed application fee of Rs…….in the shape of non-judicial stamps. 16. I/We have not yet obtained possession of the vehicle and I/We understand that the permit will not be issued until I/We produce the certificate of registration. 17. I/We hereby, declare that above statements are true and agree that they inter alia shall be conditions of the permits issued to me/us. Date:…… Signature or thumb-impression of applicant(s) *Strike out whichever is not applicable. To be filled in by the office of the Transport Authority 1. Date of receipt…… 2. Date of application…… 3. Date of…… Circulation to members…… Consideration at meeting…… Decision by Chairman …… 4. Granted…… Granted in modified form…… Rejected…… 5. Number of permit…… Secretary, ...Regional Transport Authority	*(b)* Any other vehicle 11. Particulars of any permit held by the applicant in respect of the use of any transport vehicle in any state during the last four years which has been the subject of any order of suspension or cancellation, if so give details 12. Whether all the taxes in respect of the vehicles covered by permits stated above have been paid up-to-date, if so enclose no dues certificate of the concerned Taxation Officer, if not so give details of the arrears (to be supported by the certificate of the concerned Taxation Officer) 13. Details of arrangements made for comfort and convenience of hirers and for the storage and safe custody of the luggage 14. I/We are in possession of vehicle and enclose herewith certificates or registration and insurance in respect of the vehicle 15. I/We have paid the prescribed application fee of Rs…….in the shape of non-judicial stamps. 16. I/We have not yet obtained possession of the vehicle and I/We understand that the permit will not be issued until I/We produce the certificate of registration. 17. I/We hereby, declare that above statements are true and agree that they inter alia shall be conditions of the permits issued to me/us. Date:…… Signature or thumb-impression of applicant(s) *Strike out whichever is not applicable. To be filled in by the office of the Transport Authority 1. Date of receipt…… 2. Date of application…… 3. Date of…… Circulation to members…… Consideration at meeting…… Decision by Chairman …….. 4. Granted…… Granted in modified form…… Rejected…… 5. Number of permit…… Secretary, ...Regional Transport Authority
	Form SR-21B [See Rule 222 D(3)] *Application for permit in respect of a contract carriage* (If the contract between the vehicle owner and school or the guardian is signed) To, The State/Regional Transport Authority	**Form SR-21B** [See Rule 222 B(3)] *Application for permit in respect of a contract carriage* (If the contract between the vehicle owner and school or the guardian is signed) To, The State/Regional Transport Authority

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

In accordance with the provisions of Section 69, 73 and 80 of the Motor Vehicles Act, 1988, I/We, the undersigned hereby apply for permit under section 66 of the said act in respect of a contract carriage as hereunder set out:

1. Full name……
2. Name of the father/husband in the case of an individual and in the case of a firm or company, the name of the managing partner or the managing director as the case may be…….
3. Status of the applicant, whether individual, company or partnership firm Co-operative Society, etc…….
4. Full address:
   (a) Permanent……
   (b) Present……
   (To be supported by attested copy of ration card, electricity bill or any other valid documentary proof of the satisfaction of the transport authority in the case of individual and in the case of company or firm certified copy of the memorandum of association or copy of the partnership deed).
5. Area or routes for which permit is desired……
6. The type of the vehicle, its model and registration mark…….
7. Registered seating capacity……
8. Particulars of service to be performed by the contract carriage and the manner in which it is claimed that public convenience will be served…..
9. Whether contract is signed with school or guardians -
10. Particulars of any valid stage carriage or contract carriage permit (or similar authorization) held by the applicant:
    (a) This Vehicle:

Permit No.	Issued by	Area	Period of validity

    (b) Any other vehicle
11. Particulars of any permit held by the applicant in respect of the use of any transport vehicle in any state during the last four years which has been the subject of any order of suspension or cancellation, if so give details
12. Whether all the taxes in respect of the vehicles covered by permits stated above have been paid up-to-date, if so enclose no dues certificate of the concerned Taxation Officer, if not so give details of the arrears (to be supported by the certificate of the concerned Taxation Officer)
13. Details of arrangements made for comfort and convenience of hirers and for the storage and safe custody of the luggage
14. I/We are in possession of vehicle and enclose herewith certificates or registration and insurance in respect of the vehicle
15. I/We have paid the prescribed application fee of Rs……..in the shape of non-

In accordance with the provisions of Section 69, 73 and 80 of the Motor Vehicles Act, 1988, I/We, the undersigned hereby apply for permit under section 66 of the said act in respect of a contract carriage as hereunder set out:

1. Full name……
2. Name of the father/husband in the case of an individual and in the case of a firm or company, the name of the managing partner or the managing director as the case may be…….
3. Status of the applicant, whether individual, company or partnership firm Co-operative Society, etc…….
4. Full address:
   (a) Permanent……
   (b) Present……
   (To be supported by attested copy of ration card, electricity bill or any other valid documentary proof of the satisfaction of the transport authority in the case of individual and in the case of company or firm certified copy of the memorandum of association or copy of the partnership deed).
5. Area or routes for which permit is desired……
6. The type of the vehicle, its model and registration mark…….
7. Registered seating capacity……
8. Particulars of service to be performed by the contract carriage and the manner in which it is claimed that public convenience will be served…..
9. Whether contract is signed with school or guardians -
10. Particulars of any valid stage carriage or contract carriage permit (or similar authorization) held by the applicant:
    (a) This Vehicle:

Permit No.	Issued by	Area	Period of validity

(b) Any other vehicle
11. Particulars of any permit held by the applicant in respect of the use of any transport vehicle in any state during the last four years which has been the subject of any order of suspension or cancellation, if so give details
12. Whether all the taxes in respect of the vehicles covered by permits stated above have been paid up-to-date, if so enclose no dues certificate of the concerned Taxation Officer, if not so give details of the arrears (to be supported by the certificate of the concerned Taxation Officer)
13. Details of arrangements made for comfort and convenience of hirers and for the storage and safe custody of the luggage
14. I/We are in possession of vehicle and enclose herewith certificates or registration and insurance in respect of the vehicle
15. I/We have paid the prescribed application fee of Rs……..in the shape of non-

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

	judicial stamps. 16. I/We have not yet obtained possession of the vehicle and I/We understand that the permit will not be issued until I/We produce the certificate of registration. 17. I/We hereby, declare that above statements are true and agree that they inter alia shall be conditions of the permits issued to me/us. Date:…….. Signature or thumb-impression of applicant(s) *Strike out whichever is not applicable. To be filled in by the office of the Transport Authority 1. Date of receipt…….. 2. Date of application…….. 3. Date of…… Circulation to members…….. Consideration at meeting……. Decision by Chairman …… 4. Granted…… Granted in modified form…….. Rejected…… … 5. Number of permit…… Secretary, ...Regional Transport Authority	judicial stamps. 16. I/We have not yet obtained possession of the vehicle and I/We understand that the permit will not be issued until I/We produce the certificate of registration. 17. I/We hereby, declare that above statements are true and agree that they inter alia shall be conditions of the permits issued to me/us. Date:…….. Signature or thumb-impression of applicant(s) *Strike out whichever is not applicable. To be filled in by the office of the Transport Authority 1. Date of receipt…….. 2. Date of application…… 3. Date of…… Circulation to members…….. Consideration at meeting……. Decision by Chairman …….. 4. Granted…… Granted in modified form…….. Rejected…… … 5. Number of permit…… Secretary, ...Regional Transport Authority
Amendment of form SR-23A	6- In the second schedule for form SR-23A set out in column 1 below, the form as set out in Column 2 shall be substituted, namely : -	
	COLUMN-1	**COLUMN-2**
	Existing Forms	**Forms as hereby substituted**
	Form SR-23A [See Rule 222 D(1)] *Application for grant of permit to the educational Institution bus* To, Regional Transport Authority, …….. In accordance with the provisions of Section 69, 70 and 71 of the Motor Vehicles Act, 1988, I/We, the undersigned hereby apply for a school bus/school van permit under section 66 of the act. 1. Full name…… 2. Name of the father/husband …… 3. Age…… 4. Full address: *(a)* Permanent…… *(b)* Present…… (To be supported by attested copy of ration card, electricity bill or any other valid documentary proof of the satisfaction of the transport authority in the case of individual and in the case of company or firm certified copy of the	**Form SR-23A** [See Rule 222 B(1)] *Application for grant of permit to the educational Institution bus* To, Regional Transport Authority, …….. In accordance with the provisions of Section 69, 70 and 71 of the Motor Vehicles Act, 1988, I/We, the undersigned hereby apply for a school bus/school van permit under section 66 of the act. 1. Full name…… 2. Name of the father/husband …… 3. Age…… 4. Full address: *(a)* Permanent…… *(b)* Present…… (To be supported by attested copy of ration card, electricity bill or any other valid documentary proof of the satisfaction of the transport authority in the case of individual and in the case of company or firm certified copy of the

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

	memorandum of association or copy of the partnership deed). 5. Phone no…… 6. Area or routes for which permit is desired…….. 7. School name and Time 1…… 2……... 3…… 4…… 8. Seating capacity…… 9. The type of the vehicle, its model and registration mark……. 10. I/We are in possession of vehicle and enclose herewith certificates or registration and insurance in respect of the vehicle 11. I/We have not yet obtained possession of the vehicle and I/We will purchase and present the vehicle. 12. I/We hereby, declare that above statements are true. Date:…….. Place:…….. Signature or thumb-impression of applicant(s) To be filled in by the office of the Regional Transport Authority 1. Date of receipt…… 2. Date of consideration at meeting…… 3. Date……Granted/Rejected. 4. Number of permit…… Secretary, ...Regional Transport Authority	memorandum of association or copy of the partnership deed). 5. Phone no…… 6. Area or routes for which permit is desired…… 7. School name and Time 1…… 2…… 3…… 4…… 7A. The manner in which purpose of carrying persons, otherwise than for hire or reward or in connection with the trade or business carried on by the applicant, will be served by the vehicle …….. 8. Seating capacity…… 9. The type of the vehicle, its model and registration mark…….. 10. I/We are in possession of vehicle and enclose herewith certificates or registration and insurance in respect of the vehicle 11. I/We have not yet obtained possession of the vehicle and I/We will purchase and present the vehicle. 12. I/We hereby, declare that above statements are true. Date:…….. Place:…….. Signature or thumb-impression of applicant(s) To be filled in by the office of the Regional Transport Authority 1. Date of receipt…… 2. Date of consideration at meeting…… 3. Date……Granted/Rejected. 4. Number of permit…… Secretary, ...Regional Transport Authority
Amendment of forms SR-27A and SR-27B	7- In the second schedule for forms SR-27A and SR-27B set out in column 1 below, the forms as set out in Column 2 shall be substituted, namely : -	
	COLUMN-1	**COLUMN-2**
	Existing Forms	**Forms as hereby substituted**
	Form SR-27A [See Rule 222 D(2)] *Permit in respect of contract carriage* (If the contract between the Vehicle owner and the school is signed) …….. Transport Authority Permit No…… 1- Name of the Holder…… 2- Father's/Husband's name…… (in the case of an individual) 3- Address:	**Form SR-27A** [See Rule 222 B(2)] *Permit in respect of contract carriage* (If the contract between the Vehicle owner and the school is signed) …….. Transport Authority Permit No…… 1- Name of the Holder…… 2- Father's/Husband's name…… (in the case of an individual) 3- Address:

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

	(a) Permanent…… *(b)* Present…… 4- *(i)* Registration Mark of the Vehicle…….. *(ii)* Model…… *(iii)* Chassis Number…… *(iv)* Engine Number…… *(v)* Class of vehicle…… *(vi)* The vehicle is under hire-purchase agreement with…… 5- Route/Area for which the permit is valid…….. 6- Date of expiry of the permit……. 7- Rate of fare per kilometer…… 8- This permit shall be subject to the conditions laid down in Section 84 of the Motor Vehicles Act, 1988…… 9- The records to be maintained and the date on which returns are to be submitted to the Transport Authority…… 10- Other conditions: (1) That the vehicle covered by such a permit shall in no case be used in any public place during the period in which the registration certificate and token relating to it are or have been surrendered in accordance with the provisions of the Uttar Pradesh Motor Vehicle Taxation Act, 1997 and the rules made there under or have been suspended or cancelled.; (2) That the vehicle covered by such a permit shall in no case be used in any public place unless the taxes levied by the State Government and payable in respect thereof have been duly paid and if tax is not duly paid in the Uttar Pradesh Motor Vehicle Taxation Act, 1997 as the case may be, it shall be presumed that the holder of permit has intentionally evaded the payment of such tax; (3) That save as provided in sub-section (2) of Section 82 the permit shall not be transferred to any other person except with the permission of the Transport Authority which granted the permit; (4) That the vehicle shall be used in the area or on the route or routes specified in permit; (5) That the maximum number of persons or maximum weight of luggage that may be carried in the vehicle covered by the permit shall not exceed as given in the certificate of registrations. (6) That only such advertising matters as are directly related to the permit holder's business in furtherance of which the permit is obtained and which does not in any way change the identity of the vehicle, may be displayed on the vehicle save on any part of the bonnet, front screen and dashboard of the vehicle: Provided that no advertising matter shall cover or be at a distance of less than 20 centimetres of any material descriptions painted, inscribed or fixed in or over the vehicle.	*(a)* Permanent…… *(b)* Present…… 4- *(i)* Registration Mark of the Vehicle…….. *(ii)* Model…… *(iii)* Chassis Number……... *(iv)* Engine Number…….. *(v)* Class of vehicle…… *(vi)* The vehicle is under hire-purchase agreement with…… 5- Route/Area for which the permit is valid…….. 6- Date of expiry of the permit……. 7- Rate of fare per kilometer…… 8- This permit shall be subject to the conditions laid down in Section 84 of the Motor Vehicles Act, 1988…… 9- The records to be maintained and the date on which returns are to be submitted to the Transport Authority…… 10- Other conditions: (1) That the vehicle covered by such a permit shall in no case be used in any public place during the period in which the registration certificate and token relating to it are or have been surrendered in accordance with the provisions of the Uttar Pradesh Motor Vehicle Taxation Act, 1997 and the rules made there under or have been suspended or cancelled.; (2) That the vehicle covered by such a permit shall in no case be used in any public place unless the taxes levied by the State Government and payable in respect thereof have been duly paid and if tax is not duly paid in the Uttar Pradesh Motor Vehicle Taxation Act, 1997 as the case may be, it shall be presumed that the holder of permit has intentionally evaded the payment of such tax; (3) That save as provided in sub-section (2) of Section 82 the permit shall not be transferred to any other person except with the permission of the Transport Authority which granted the permit; (4) That the vehicle shall be used in the area or on the route or routes specified in permit; (5) That the maximum number of persons or maximum weight of luggage that may be carried in the vehicle covered by the permit shall not exceed as given in the certificate of registrations. (6) That only such advertising matters as are directly related to the permit holder's business in furtherance of which the permit is obtained and which does not in any way change the identity of the vehicle, may be displayed on the vehicle save on any part of the bonnet, front screen and dashboard of the vehicle: Provided that no advertising matter shall cover or be at a distance of less than 20 centimetres of any material descriptions painted, inscribed or fixed in or over the vehicle.

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(7) That the holder of the permit shall cause the permit to be carried in the vehicle in such a manner that it is readily available for inspection at any time by any authorised person.

11- Any other conditions……

Date……

Secretary,
……Transport Authority.

12- The permit is valid also in the regions and subject to the condition set out below ……

Region	Route/Area	Conditions
1	2	3

Date……

Secretary,
.....Regional Transport Authority

RENEWALS

This permit is hereby renewed upto ……day of ……..subject to following further conditions-

(1)

(2)

(3)

It is effective also in following State/Regions, subject to any condition attached to the previous counter-signature.

Date……

Secretary,
.....Regional Transport Authority

COUNTER-SIGNATURE

……Transport Authority

No……

Counter-signed for Route/Area……

subject to the following variation of conditions:

(1)

(2)

(3)

Date……

Secretary,
.....Regional Transport Authority

RENEWAL OF COUNTER-SIGNATURE

The above counter-signature is, hereby, renewed up to……

Date……

Secretary,

.....Regional Transport Authority

(7) That the holder of the permit shall cause the permit to be carried in the vehicle in such a manner that it is readily available for inspection at any time by any authorised person.

11- Any other conditions……

Date……

Secretary,
……Transport Authority.

12- The permit is valid also in the regions and subject to the condition set out below ……

Region	Route/Area	Conditions
1	2	3

Date……

Secretary,
.....Regional Transport Authority

RENEWALS

This permit is hereby renewed upto ……day of ……..subject to following further conditions-

(1)

(2)

(3)

It is effective also in following State/Regions, subject to any condition attached to the previous counter-signature.

Date……

Secretary,
.....Regional Transport Authority

COUNTER-SIGNATURE

……Transport Authority

No……..

Counter-signed for Route/Area……

subject to the following variation of conditions:

(1)

(2)

(3)

Date……

Secretary,
.....Regional Transport Authority

RENEWAL OF COUNTER-SIGNATURE

The above counter-signature is, hereby, renewed up to……

Date……

Secretary,

.....Regional Transport Authority

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

Form SR-27B

[See Rule 222 D (3)]
Permit in respect of contract carriage

(If the contract between the vehicle owner and school or guardian is signed)

…….. Transport Authority

……..

Permit No……

1. Name of the Holder…….
2. Father's/Husband's name…… (in the case of an individual)
3. Address:
   (a) Permanent……
   (b) Present……
4. *(i)* Registration Mark of the Vehicle……
   (ii) Model……
   (iii) Chassis Number……
   (iv) Engine Number……
   (v) Class of vehicle……
   (vi) The vehicle is under hire-purchase agreement with……
5. Route/Area for which the permit is valid…..
6. Date of expiry of the permit……..
7. Rate of fare per kilometer……..
8. This permit shall be subject to the conditions laid down in Section 84 of the Motor Vehicles Act, 1988……
9. The records to be maintained and the date on which returns are to be submitted to the Transport Authority…
10. Other conditions:
    (1) That the vehicle covered by such a permit shall in no case be used in any public place during the period in which the registration certificate and token relating to it are or have been surrendered in accordance with the provisions of the Uttar Pradesh Motor Vehicle Taxation Act, 1997 and the rules made there under or have been suspended or cancelled.;
    (2) That the vehicle covered by such a permit shall in no case be used in any public place unless the taxes levied by the State Government and payable in respect thereof have been duly paid and if tax is not duly paid in the Uttar Pradesh Motor Vehicle Taxation Act, 1997 as the case may be, it shall be presumed that the holder of permit has intentionally evaded the payment of such tax;
    (3) That save as provided in sub-section (2) of Section 82 the permit shall not be transferred to any other person except with the permission of the Transport Authority which granted the permit;
    (4) That the vehicle shall be used in the area or on the route or routes specified in permit;
    (5) That the maximum number of persons or maximum weight of luggage that may be carried in the vehicle covered by the permit shall not exceed as given in the certificate

Form SR-27B

[See Rule 222 B (3)]
Permit in respect of contract carriage

(If the contract between the vehicle owner and school or guardian is signed)

…….. Transport Authority

……..

Permit No……

1. Name of the Holder……
2. Father's/Husband's name…… (in the case of an individual)
3. Address:
   (a) Permanent……
   (b) Present……
4. *(i)* Registration Mark of the Vehicle……
   (ii) Model……
   (iii) Chassis Number……
   (iv) Engine Number……
   (v) Class of vehicle……
   (vi) The vehicle is under hire-purchase agreement with……
5. Route/Area for which the permit is valid…
6. Date of expiry of the permit……
7. Rate of fare per kilometer……
8. This permit shall be subject to the conditions laid down in Section 84 of the Motor Vehicles Act, 1988……
9. The records to be maintained and the date on which returns are to be submitted to the Transport Authority……
10. Other conditions:
    (1) That the vehicle covered by such a permit shall in no case be used in any public place during the period in which the registration certificate and token relating to it are or have been surrendered in accordance with the provisions of the Uttar Pradesh Motor Vehicle Taxation Act, 1997 and the rules made there under or have been suspended or cancelled.;
    (2) That the vehicle covered by such a permit shall in no case be used in any public place unless the taxes levied by the State Government and payable in respect thereof have been duly paid and if tax is not duly paid in the Uttar Pradesh Motor Vehicle Taxation Act, 1997 as the case may be, it shall be presumed that the holder of permit has intentionally evaded the payment of such tax;
    (3) That save as provided in sub-section (2) of Section 82 the permit shall not be transferred to any other person except with the permission of the Transport Authority which granted the permit;
    (4) That the vehicle shall be used in the area or on the route or routes specified in permit;
    (5) That the maximum number of persons or maximum weight of luggage that may be carried in the vehicle covered by the permit shall not exceed as given in the

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

of registrations.

(6) That only such advertising matters as are directly related to the permit holder's business in furtherance of which the permit is obtained and which does not in any way change the identity of the vehicle, may be displayed on the vehicle save on any part of the bonnet, front screen and dashboard of the vehicle:

Provided that no advertising matter shall cover or be at a distance of less than 20 centimetres of any material descriptions painted, inscribed or fixed in or over the vehicle.

(7) That the holder of the permit shall cause the permit to be carried in the vehicle in such a manner that it is readily available for inspection at any time by any authorised person.

11. Any other conditions……..

Date……

Secretary,
.....Regional Transport Authority

12. The permit is valid also in the regions and subject to the condition set out below ……

Region	Route/Area	Conditions
1	2	3

Date……

Secretary,
.....Regional Transport Authority

RENEWALS

This permit is hereby renewed upto ……day of ……subject to following further conditions-

(1)

(2)

(3)

It is effective also in following State/Regions, subject to any condition attached to the previous counter-signature.

Date……

Secretary,
.....Regional Transport Authority

COUNTER-SIGNATURE

……Transport Authority

No……..

Counter-signed for
Route/Area……....

subject to the following variation of conditions:

(1)

certificate of registrations.

(6) That only such advertising matters as are directly related to the permit holder's business in furtherance of which the permit is obtained and which does not in any way change the identity of the vehicle, may be displayed on the vehicle save on any part of the bonnet, front screen and dashboard of the vehicle:

Provided that no advertising matter shall cover or be at a distance of less than 20 centimetres of any material descriptions painted, inscribed or fixed in or over the vehicle.

(7) That the holder of the permit shall cause the permit to be carried in the vehicle in such a manner that it is readily available for inspection at any time by any authorised person.

11. Any other conditions……..

Date……

Secretary,
.....Regional Transport Authority

12. The permit is valid also in the regions and subject to the condition set out below ……

Region	Route/Area	Conditions
1	2	3

Date……

Secretary,
.....Regional Transport Authority

RENEWALS

This permit is hereby renewed upto ……day of ……subject to following further conditions-

(1)

(2)

(3)

It is effective also in following State/Regions, subject to any condition attached to the previous counter-signature.

Date……

Secretary,
.....Regional Transport Authority

COUNTER-SIGNATURE

……Transport Authority

No……..

Counter-signed for
Route/Area……....

subject to the following variation of conditions:

(1)

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

<table>
<tr><td></td><td>(2)
(3)
Date……
Secretary,
.....Regional Transport Authority
RENEWAL OF COUNTER-SIGNATURE
The above counter-signature is, hereby, renewed up to……..……..…….……
Date……
Secretary,
.....Regional Transport Authority</td><td>(2)
(3)
Date……
Secretary,
.....Regional Transport Authority
RENEWAL OF COUNTER-SIGNATURE
The above counter-signature is, hereby, renewed up to……..……..…….……
Date……
Secretary,
.....Regional Transport Authority</td></tr>
<tr><td>Amendment of form SR-29A</td><td colspan="2">8- In the second schedule for form SR-29A set out in column 1below, the form as set out in Column 2 shall be substituted, namely : -</td></tr>
<tr><td></td><td>COLUMN-1</td><td>COLUMN-2</td></tr>
<tr><td></td><td>Existing Forms</td><td>Forms as hereby substituted</td></tr>
<tr><td></td><td>Form SR-29A
[See Rule 222 D (1)]
Private Service Vehicle Permit
…….. Transport Authority
……..
Permit No……
1. Name of the Holder……..
2. Father’s/Husband’s name…….
(in the case of an individual)
3. Address:
(a) Permanent……
(b) Present……
…
4. Place and nature of …….business……
(with postal address)……..
5. Area or route(s) for which permit is valid……
6. Type and seating capacity of the vehicle:
<table><tr><th>Registration mark of the vehicles</th><th>Type</th><th>Seating Capacity</th><th>Gross vehicle weight</th><th>Chassis No. of the vehicle</th></tr><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>7. Nature and maximum number of persons to be carried to and from the place of school……
8. Date of expiry of the permit……
9. Conditions:
(a) The vehicle shall be used only in the area on the route of routes specified in the permit;
(b) The holder of the permit shall legibly display the words “PRIVATE SERVICE VEHICLE”, not less than 10 cms. high in black on vehicle ground on a board or place affixed to the form of the vehicle at</td><td>Form SR-29A
[See Rule 222 B (1)]
Private Service Vehicle Permit
…….. Transport Authority
……..
Permit No……
1. Name of the Holder……..
2. Father’s/Husband’s name…….
(in the case of an individual)
3. Address:
(a) Permanent……
(b) Present……
…
4. Place and nature of……. business……
(with postal address)……..
5. Area or route(s) for which permit is valid……
6. Type and seating capacity of the vehicle:
<table><tr><th>Registration mark of the vehicles</th><th>Type</th><th>Seating Capacity</th><th>Gross vehicle weight</th><th>Chassis No. of the vehicle</th></tr><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>7. Nature and maximum number of persons to be carried to and from the place of school……
8. Date of expiry of the permit……
9. Conditions:
(a) The vehicle shall be used only in the area on the route of routes specified in the permit;
(b) The holder of the permit shall legibly display the words “PRIVATE SERVICE VEHICLE”, not less than 10 cms. high in black on vehicle ground on a board or place affixed to the form of the vehicle at</td></tr>
</table>

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

	the level of the roof; *(c)* The maximum number of persons that may be carried in the vehicle covered by the permit shall not exceed ……and the maximum weight of luggage that may be carried shall not exceed……quintals. *(d)* Standards of comforts, cleanliness and maintenance of the vehicles as specified for public service vehicles in the Motor Vehicles Act, 1988 or rules made thereunder shall be maintained in the vehicle; *(e)* No advertising matter shall ordinarily be displayed on the vehicle. *(f)* The holder of the permit shall furnish to the Transport Authority by which the permit is issued, such periodical returns, statistics and other information as the State Government may, from time to time, specify; *(g)* The holder of the permit shall also abide by- *(i).* the conditions prescribed under Section 84 of the Motor Vehicles Act, 1988 and other provisions of the Act, insofar as they apply to the holder of the permit; *(ii).* any other condition or conditions that may be specified by the State Transport Authority or the Regional Transport Authority; *(h)* The Transport Authority by which the permit is issued may, after giving notice of not less than one month may vary the conditions of the permit or attach thereto any further conditions. 10. Any other conditions: (1) That the vehicle covered by such a permit shall in no case be used in any public place during the period in which the registration certificate and token relating to it are or have been surrendered in accordance with the provisions of the Uttar Pradesh Motor Vehicle Taxation Act, 1997 and the rules made there under or have been suspended or cancelled.; (2) That the vehicle covered by such a permit shall in no case be used in any public place unless the taxes levied by the State Government and payable in respect thereof have been duly paid and if tax is not duly paid in the Uttar Pradesh Motor Vehicle Taxation Act, 1997 as the case may be, it shall be presumed that the holder of permit has intentionally evaded the payment of such tax; (3) That save as provided in sub-section (2) of Section 82 the permit shall not be transferred to any other person except with the permission of the Transport Authority which granted the permit; (4) That the vehicle shall be used in the area or on the route or routes specified in permit; (5) That the maximum number of persons or maximum weight of luggage that may be carried in the vehicle covered by the permit shall not exceed as given in the certificate of registrations. (6) That only such advertising matters as are directly related to the permit holder's business in furtherance of which the permit is obtained and which does not in any way change the identity of the vehicle, may be displayed on the vehicle save on any part of the bonnet, front screen and dashboard of the vehicle: Provided that no advertising matter shall cover or be at a distance of less than 20 centimetres of any material descriptions painted, inscribed or fixed in or over the vehicle.	the level of the roof; *(c)* The maximum number of persons that may be carried in the vehicle covered by the permit shall not exceed ……and the maximum weight of luggage that may be carried shall not exceed……quintals. *(d)* Standards of comforts, cleanliness and maintenance of the vehicles as specified for public service vehicles in the Motor Vehicles Act, 1988 or rules made thereunder shall be maintained in the vehicle; *(e)* No advertising matter shall ordinarily be displayed on the vehicle. *(f)* The holder of the permit shall furnish to the Transport Authority by which the permit is issued, such periodical returns, statistics and other information as the State Government may, from time to time, specify; *(g)* The holder of the permit shall also abide by- *(i).* the conditions prescribed under Section 84 of the Motor Vehicles Act, 1988 and other provisions of the Act, insofar as they apply to the holder of the permit; *(ii).* any other condition or conditions that may be specified by the State Transport Authority or the Regional Transport Authority; *(h)* The Transport Authority by which the permit is issued may, after giving notice of not less than one month may vary the conditions of the permit or attach thereto any further conditions. 10. Any other conditions: (1) That the vehicle covered by such a permit shall in no case be used in any public place during the period in which the registration certificate and token relating to it are or have been surrendered in accordance with the provisions of the Uttar Pradesh Motor Vehicle Taxation Act, 1997 and the rules made there under or have been suspended or cancelled.; (2) That the vehicle covered by such a permit shall in no case be used in any public place unless the taxes levied by the State Government and payable in respect thereof have been duly paid and if tax is not duly paid in the Uttar Pradesh Motor Vehicle Taxation Act, 1997 as the case may be, it shall be presumed that the holder of permit has intentionally evaded the payment of such tax; (3) That save as provided in sub-section (2) of Section 82 the permit shall not be transferred to any other person except with the permission of the Transport Authority which granted the permit; (4) That the vehicle shall be used in the area or on the route or routes specified in permit; (5) That the maximum number of persons or maximum weight of luggage that may be carried in the vehicle covered by the permit shall not exceed as given in the certificate of registrations. (6) That only such advertising matters as are directly related to the permit holder's business in furtherance of which the permit is obtained and which does not in any way change the identity of the vehicle, may be displayed on the vehicle save on any part of the bonnet, front screen and dashboard of the vehicle: Provided that no advertising matter shall cover or be at a distance of less than 20 centimetres of any material descriptions painted, inscribed or fixed in or over the vehicle.

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(7) That the holder of the permit shall cause the permit to be carried in the vehicle in such a manner that it is readily available for inspection at any time by any authorised person.

11. The permit is valid also in the regions and subject to the conditions set our below:

Region	Route/Area	Conditions
1	2	3

Date……

Secretary,

.....Regional Transport Authority

RENEWALS

Renewed upto ……

Subject to ……

Date……

Secretary,

.....Regional Transport Authority

COUNTER-SIGNATURE

Permit No……..

Counter-signed for Route/Area subject to the following variation of conditions:

……
……

Date……

Secretary,

.....Regional Transport Authority

RENEWAL OF COUNTER-SIGNATURE

The above counter-signature is, hereby, renewed up to…….subject to the following conditions:

Date……

Secretary,

.....Regional Transport Authority

(7) That the holder of the permit shall cause the permit to be carried in the vehicle in such a manner that it is readily available for inspection at any time by any authorised person.

11. The permit is valid also in the regions and subject to the conditions set our below:

Region	Route/Area	Conditions
1	2	3

Date……

Secretary,

.....Regional Transport Authority

RENEWALS

Renewed upto ……

Subject to ……

Date……

Secretary,

.....Regional Transport Authority

COUNTER-SIGNATURE

Permit No……..

Counter-signed for Route/Area subject to the following variation of conditions:

……
……

Date……

Secretary,

.....Regional Transport Authority

RENEWAL OF COUNTER-SIGNATURE

The above counter-signature is, hereby, renewed up to…….subject to the following conditions:

Date……

Secretary,

.....Regional Transport Authority

By Order,

Rajesh Kumar Singh
Principal Secretary.

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

संख्या-11/2022/526(1)/तीस-4-2022 तददिनांक।

प्रतिलिपि संयुक्त निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उत्तर प्रदेश, राजकीय मुद्रणालय, ऐशबाग, लखनऊ को अधिसूचना की अंग्रेजी प्रति सहित इस आशय के साथ प्रेषित कि कृपया उक्त अधिसूचना को दिनांक 02 मई, 2022 के असाधारण गजट के परिशिष्ट, भाग-4, खण्ड (क) (सामान्य परिनियम नियम) में प्रकाशित करवाने तथा प्रकाशित अधिसूचना की 600 प्रतियॉ परिवहन अनुभाग-4, कक्ष संख्या-320, बापू भवन, उत्तर प्रदेश सचिवालय को यथाशीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

आज्ञा से,

अरविन्द कुमार पाण्डेय
विशेष सचिव।

संख्या-11/2022/526(2)/तीस-4-2022 तददिनांक।

प्रतिलिपि निदेशक, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, (विज्ञापन प्रभाग) उत्तर प्रदेश, लखनऊ को इस आशय के साथ प्रेषित कि कृपया इस अधिसूचना को प्रदेश के 02 प्रमुख दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित कराते हुए उनकी प्रतियां शासन को तत्काल उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

आज्ञा से,

राम गोपाल सिंह
अनु सचिव।

संख्या-11/2022/526(3)/तीस-4-2022 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

(1) मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
(2) सचिव, भारत सरकार, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, परिवहन भवन, 1-संसद मार्ग, नई दिल्ली।
(3) अध्यक्ष, स्टेट ट्रांसपोर्ट अपीलेट ट्रिब्यूनल, उ0प्र0, लखनऊ।
(4) अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, गृह/न्याय/वित्त/कार्मिक/बेसिक शिक्षा/माध्यमिक शिक्षा/नगर विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
(5) परिवहन आयुक्त, उत्तर प्रदेश, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि वह कृपया निदेशक, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग से सम्पर्क स्थापित कर उक्त अधिसूचना को प्रदेश के 02 प्रमुख दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित कराने हेतु किसी अभिज्ञ अधिकारी को निर्देशित करने का कष्ट करें।
(6) समस्त मण्डलायुक्त, उ0प्र0 (द्वारा परिवहन आयुक्त)
(7) समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0 (द्वारा परिवहन आयुक्त)
(8) समस्त संभागीय परिवहन अधिकारी/सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी, उत्तर प्रदेश (द्वारा परिवहन आयुक्त)।
(9) समस्त जिला विद्यालय निरीक्षक/जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, उ0प्र0 (द्वारा परिवहन आयुक्त)।
(10) विधायी अनुभाग-1
(11) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

राम गोपाल सिंह
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।